शासकीय उपयोग हेतु

प्रतिवेदन क्रमांक - 10

भुंजिया

जनजाति का

मानवशास्त्रीय अध्ययन

निर्देशन

शम्मी आबिदी (आई.ए.एस)

संचालक

क्षेत्रकार्य एवं प्रतिवेदन

डॉ. अनिल विरूलकर

मोहन साहू

अमर दास

भूषण सिंह नेताम

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर (छ.ग.)

शासकीय उपयोग हेतु

प्रतिवेदन क्रमांक - 10

भुंजिया जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

निर्देशन
शम्मी आबिदी (आई.ए.एस)
संचालक

क्षेत्रकार्य एवं प्रतिवेदन
डॉ. अनिल विरूलकर
मोहन साहू
अमर दास
भूषण सिंह नेताम

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर (छ.ग.)

पृष्ठभूमि

सामान्य शब्दों मे आदिकाल से निवासरत समुदायों को आदिवासी, वनवासी, आदिमजाति आदि नामों से संबोधित व जाना जाता है। वर्तमान परिदृश्य मे ऐसे अनेक समुदाय है जिनकी अनेकों पीढ़िया समुदायों से पृथक अलग–अलग वनों, पहाड़ों एवं तराइयों मे निवासरत होने के कारण वर्तमान परिवेश के साथ ताल–मेल बिठाने की गति प्रायः कम है।

इन समुदायों का अपना जीवन सीमित क्षेत्र, सीमित आवश्यकताओं सीमित किन्तु प्रचुर वन संसाधनों पर निर्भर है। इनकी अपनी क्षेत्रीय विशिष्ट संस्कृति, रीति–रिवाज, देवी–देवता, लोककला, आदि परिपूर्ण रही है। जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखती है।

जनजातियों को सर्वमान्य परिभाषा के माध्यम से तो परिभाषित नही किया जा सकता किन्तु विभिन्न मानवशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों के गहन अध्ययन एवं अवलोकन के आधार पर कुछ विशिष्ट लक्षणों जैसे निश्चित निवास क्षेत्र, परिवारों के समूहों का एक संकलन, शहरी या ग्रामीण सभ्यता से पृथक्किकरण, स्वयं की बोली, पर्यावरण आधारित संस्कृति, वर्ण व्यवस्था से पृथक, वन आधारित अर्थव्यवस्था, टोटेमिक गोत्रनाम, वधूमूल्य प्रथा, स्वयं के देवी–देवता, जीववाद को मानने वाले, भ्राता–भगिनी संतती विवाह, शैक्षणिक रूप से कमजोर आदि को चिन्हाकित करते हुए इन समुदायों को जनजाति अथवा आदिवासी के रूप में जाना जाने लगा।

मानव अथवा जनजातीय समुदायों की उत्पत्ति एवं संस्कृति को प्रागैतिहासिक काल (Pre historical period) के उत्तर पाषाणीय संस्कृति (lower Paleolithic Culture), मध्य पाषाणीय संस्कृति (Middle Palaeolithic Culture), उच्च पाषाणीय संस्कृति (Uppar Palaeolithic Culture), ताम्र पाषाणीय संस्कृति (Mesolithic Culture), नव–पाषाणीय संस्कृति (Neolithic Culture), सिंधु सभ्यता (Indus Civilization) के माध्यम से चरणबद्ध एवं क्रमिक विकास के रूप मे समझा जा सकता है।

पाषाण कालीन सभ्यता में उत्पन्न संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मे हस्तांतरित होते हुये आज हमारे सामने है।

स्वतंत्रता पूर्व इन जनजातीय समुदायों के संबंध में कम किन्तु विशिष्ट एथनोग्राफिक अध्ययन हुए है। जो कि आज भी प्रासंगिक है किन्तु संस्कृति समय के साथ–साथ परसंस्कृतिग्रहण के कारण कुछ परिवर्तन के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है।

शासन द्वारा भी समय–समय पर इन जनजातीय समुदायों के विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाता है जिसमें किसी समुदाय की सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं उनके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की जानकारी उपलब्ध होने से उनके सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल (Cultural friendly) आवश्यकतामूलक योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। जिससे उन योजनाओं की समुदाय में अधिक स्वीकार्यता होगी और शासन की मंशा अनुसार उनके विकास का भी मार्ग प्रशस्त होगा।

जनजातीय समुदायों में विभिन्न प्रकार के मिथक, विश्वास, मान्यताएं, निषेध आदि होते है। जो उनके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में आज भी प्रासंगिक है। अतः जनजातीय समुदायों का मानवशास्त्रीय अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति ''भुंजिया का मानवशास्त्रीय'' अध्ययन संस्थान द्वारा कराया गया।

==0==

अध्याय 01

अध्ययन क्षेत्र एवं शोध प्रविधियां

छत्तीसगढ़ राज्य में भुंजिया जनजाति गरियाबंद, धमतरी एवं महासमुंद जिले मे प्रमुखता से निवासरत है। अध्ययन हेतु उपरोक्त जिलों के ग्रामों में निवासरत भुंजिया जनजाति के परिवारों को सम्मिलित किया गया। जिला गरियाबंद एक जनजातीय बहुल क्षेत्र है। प्रशासनिक सरलता के दृष्टि से गरियाबंद जिले को 05 तहसीलों एवं 05 विकासखण्डों में विभक्त है। वर्तमान में यहां 332 ग्राम पंचायतों में 690 ग्राम है। गरियाबंद जिले का कुल क्षेत्रफल 5822. 86 वर्ग किलोमीटर है। जिसमे से 2935.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन क्षेत्र है। जिले के विभिन्न विकासखण्डों में भुंजिया ग्रामों की कुल संख्या 110 है।

जिला धमतरी का कुल क्षेत्रफल 4084.00 वर्ग किलोमीटर है। जो उत्तर दिशा में रायपुर जिला, पश्चिम मे बालोद जिला तथा दक्षिण –पश्चिम में उत्तर बस्तर कांकेर तथा दक्षिण में उड़ीसा राज्य की सीमाओ से घिरा है। जिले में 213123 हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र है। जहां साजा, कौहा, हर्रा, बीजा आदि वृक्षों की प्रजातियों प्रमुख है। जिले के 02 विकासखण्डों के 08 ग्रामों में भुंजिया जनजाति निवासरत है।

जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ राज्य के 20°47' से 21°31'30" अक्षांश एवं 82°00' से 83°15'45" के मध्य 4970 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अवस्थित है। जो रायगढ़ , रायपुर, जिले एवं उड़ीसा राज्य की सीमा से लगा हुआ है। प्रशासकीय सरलता की दृष्टि से जिले को 5–5 तहसील एवं विकासखण्डो मे विभक्त किया गया है। जिले मे 1113 आबाद ग्राम है। जिनमे से 20 ग्रामों मे भुंजिया जनजाति निवासरत है।

अध्ययन का उद्देश्य –

भुंजिया जनजाति के मानवशास्त्रीय अध्ययन का उद्देश्य निम्नांकित है –

1. राज्य मे भुंजिया जनजाति के निवास क्षेत्र की जानकारी संकलित करना।
2. भुंजिया जनजाति के सामाजिक–सांस्कृतिक विशिष्टताओं की जानकारी एकत्र करना।
3. भुंजिया जनजाति के धार्मिक जीवन, लोक परम्पराओं की जानकारी संकलित करना।

अध्ययन का महत्व

1. शासन द्वारा भुंजिया जनजाति के विकास हेतु सांस्कृतिक मूल्यों के अधीन योजना निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन मे यह लाभप्रद होगा।
2. जनजातीय विषयों मे रूचि रखने वाले सामान्यजनों, अध्येताओ एवं अनुसंधानकर्ताओं हेतु द्वितीयक संदर्भ स्रोत के रूप में यह अध्ययन उपयोगी होगा।

शोध प्रविधियां –

भुंजिया जनजाति के मानवशास्त्रीय अध्ययन हेतु भुंजिया जनजाति के सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक जीवन, रीति–रिवाजो आदि के अध्ययन हेतु ग्रामों का चयन दैव निर्दशन पद्धति (Random Sampling) के आधार पर किया गया।

इस हेतु भुंजिया जनजाति निवासित जिलों के समस्त विकासखण्डों का प्रतिनिधित्व रखा गया।

समस्त विकासखण्डों के भुंजिया जनजाति निवासित समस्त ग्रामों की सूची में से 15 से अधिक भुंजिया परिवार वाले ग्रामों की सूची तैयार कर 10 प्रतिशत ग्रामों की संख्या अध्ययन हेतु ली गई तथा उन 10 प्रतिशत ग्रामों में निवासरत कुल परिवारों में से 25 प्रतिशत परिवारों का परिवार अनुसूची के माध्यम से तथ्य संकलन किया गया।

तथ्य संकलन –

चयनित ग्रामों मे भुंजिया परिवारों से विषय वस्तु से संबंधित प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु पूर्व से तैयार परिवार अनुसूची (Family Schedule) का उपयोग किया गया।

भुंजिया निवासित बहुल ग्रामो में भुंजिया जनजाति के सामाजिक मुखियाओ एवं परिवारों से साक्षात्कार (Interview) एवं समूह चर्चा (Group Study) के माध्यम से प्राथमिक तथ्यो का संकलन किया गया।

द्वितीयक तथ्य हेतु पूर्व प्रकाशित संदर्भ साहित्यो तथा प्रतिवेदनों (Reports) आदि का अवलोकन किया गया।

==0==

अध्याय 02
सामाजिक जनांकिकीय

निवास क्षेत्र –

भुंजिया जनजाति का सकेन्द्रण छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद, महासमुंद एवं धमतरी जिले में मुख्य रूप से मिलता है। उक्त जिलों के गरियाबंद के छुरा विकासखण्ड के 27 ग्रामों, गरियाबंद विकासखण्ड के 33 ग्राामों, मैनपुर विकासखण्ड के 41 ग्रामों, देवभोग के 07 ग्रामों, और फिंगेश्वर विकासखण्ड के 02 ग्रामों, महासमुंद जिले के महासमुंद विकासखण्ड के 05 ग्रामों और बागबाहरा विकासखण्ड के 15 ग्रामों तथा धमतरी जिले के मगरलोड के 03 ग्रामों और नगरी विकासखण्ड के 05 ग्रामों मे भुंजिया जनजाति के कुल 138 ग्रामों में 2130 परिवार निवासरत है।

भुंजिया जनजाति की उत्पत्ति –

भुंजिया जनजाति की उत्पत्ति का कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नही है। भुंजिया जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में अवधारणा है कि, सत्युग में भगवार शंकर एवं माता पार्वती विचरण करते हुए चित्रकुट की ओर गये। चित्रकुट की प्राकृतिक छटा देख भगवान शंकर ने वहां विश्राम करने का विचार किया तथा विश्राम करते हुए भगवान शंकर ध्यानमग्न हो गये। जब भगवान शंकर ध्यानमग्न हुए तब समय व्यतित करने माता पार्वती द्वारा वहीं नदी के घुपा रेती (महीन रेत) और घास–फूंस से एक छोटी कुटिया का प्रतिरूप और दो स्त्री–पुरूष का पुतला बनाया। उन पुतलों को कुटिया में रख कर माता पार्वती स्नान करने चली गई।

इसी समय भगवान शंकर के चिलम से निकली आग/चिंगारी से घास–फूंस से बने कुटिया में आग लग गई जिससे भीतर रखे पुतले भी आग से झुलस गये। जब माता पार्वती स्नान कर वापस आई तब उन्हें कुटिया और पुतले जले हुए दिखे चूंकि माता पार्वती ने बड़े प्यार से पुतले

बनाये थे इस कारण उन्हें दुख हुआ। भगवान शंकर के द्वारा आग लगने के कारण माता पार्वती उन पुतलों में प्राण भरने का हठ करने लगी। उनके हठ को देख भगवान शंकर ने उन पुतलों को जीवित कर दिया।

पुतलों के जीवित होने के बाद माता पार्वती ने उन्हें आग से जलने के कारण भुंजिया (आग से जलने के वाले) नाम प्रदान किया । इन्ही के वंशज ही **भुंजिया जातिनाम** से जाने जाते है।

भुंजिया जनजाति के लोग इसी अवधारणा अनुसार ही आग में भुंजने (जल जाने) के बाद उत्पन्न होने के कारण स्वयं को पवित्र व स्वच्छ मानते है क्योंकि आग में जल जाने के बाद किसी भी चीज की सारी अशुद्धियां समाप्त हो जाती है और अशुद्धि रहित ही तत्व शेष बचता है।

दंत कथाओ के अनुसार चौखुटिया भुंजिया जनजाति की उत्पत्ति हल्बा पुरूष और गोंड महिला के विवाह से उत्पन्न संतानों को माना जाता है, वही रिज़ले ने चिन्दा भुंजिया की उत्पत्ति बिंझवार व गोंड जनजाति के विवाह से माना है।

भुंजिया जनजाति की जनसंख्या –

जनगणना 2011 अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य मे भुंजिया जनजाति की जनसंख्या निम्नानुसार है –

क्र.	विवरण	जनसंख्या					
		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	ग्रामीण	5166	98.87	5335	99.20	10501	99.04
2.	शहरी	59	1.13	43	0.80	102	0.96
योग		5225	49.28	5378	50.72	10603	100.00

उपरोक्तानुसार राज्य में भुंजिया जनजाति की कुल जनसंख्या 10603 है, जिसमे पुरूष जनसंख्या 5225 एवं स्त्री जनसंख्या 5378 है। भुंजिया जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या (10501) गरियाबंद, धमतरी एवं महासमुंद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों मे विस्तारित है। शहरी क्षेत्र में निवासरत भुंजिया लोगों की जनसंख्या अल्प संख्या में है। भुंजिया जनजाति की कुल जनसंख्या राज्य की कुल अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का 0.13 प्रतिशत है।

भुंजिया जनजाति में लिंगानुपात

लिंगानुपात से तात्पर्य किसी समुदाय में प्रति एक हजार पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या से है। भुंजिया जनजाति में लिंगानुपात की स्थिति निम्नानुसार है।

भुंजिया जनजााति मे लिंगानुपात

क्र.	भुंजिया जनसंख्या		
	पुरूष	स्त्री	लिंगानुपात
1	5225	5378	1029

उपरोक्तानुसार भुंजिया जनजाति में प्रति हजार पुरूषों की तुलना में 1029 महिलाएं है। जो छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कुल लिंगानुपात 1020 की तुलना में कही अधिक है।

भुंजिया जनजाति में जनसंख्या वृद्धिदर

किसी समुदाय मे जनसंख्या वृद्धिदर से तात्पर्य विगत दशक की जनसंख्या से वर्तमान दशक में हुई जनसंख्यात्मक वृद्धि अथवा कमी से है।

भुंजिया जनजाति में जनसंख्या वृद्धिदर की स्थिति निम्नांकित है –

जनगणना 2001 की जनसंख्या	जनगणना 2011 की जनसंख्या	दशकीय जनसंख्या का अंतर	2011 मे जनसंख्या वृद्धि दर
9357	10603	1246	13.32

अतः उपरोक्तानुसार राज्य की भुंजिया जनजाति में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 13.32 प्रतिशत पायी गई।

भुंजिया जनजाति में परिवार प्रकार

मानवशास्त्रियों एवं सामाजशास्त्रियो के अनुसार परिवार अधिकार के आधार पर, वंशनाम के आधार पर, उत्तराधिकार के आधार पर, निवास के आधार पर एवं वैवाहिक रचना और गठन के साथ–साथ सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवारों का प्रकार बताया गया। राज्य की भुंजिया जनजाति पैतृक परिवार, पितृवंशीय, पितृमार्गीय, पितृस्थानीय एवं मूल एवं संयुक्त प्रकृति के परिवार जाते है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सर्वेक्षण के आधार पर भुंजिया जनजाति में वैवाहिक रचना एवं सदस्यों की संख्या के आधार पर निम्नांकित प्रकार के परिवार प्रकार देखने को मिलते है।

सर्वेक्षित भुंजिया परिवारों में परिवार प्रकार

क्र.	विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	संयुक्त	47	23.50
2	केन्द्रीय	147	73.50
3	एकल	6	3.00
योग		**200**	**100.00**

भुंजिया जनजाति मे वैवाहिक उम्र

भुंजिया जनजाति में रजस्वला होने के पश्चात बालिका को एवं बालकों में शारीरिक रूप से परिवर्तन एवं परिवार चलाने संबंधी औपचारिक अर्थोपार्जन के कार्य सीख जाने पर उन्हें विवाह योग्य मान लिया जाता है। भुंजिया जनजाति में बालिकाओ प्रथम बार रजस्वला होने के पूर्व **कांड विवाह** की प्रथा प्रचलित है। प्रायः भुंजिया जनजाति के अधिकांश बालक–बालिकाओं के विवाह 21 एवं 18 वर्ष की आयु के होने तक हो जाते है।

==0==

अध्याय 03

बसाहट, आवास एवं भौतिक संस्कृति

राज्य की भुंजिया जनजाति वनाच्छादित, मैदानी क्षेत्रों मे निवास करते है। भुंजिया जनजाति अन्य जनजाति/जाति के लोगों के साथ ही निवास करते है। प्रायः इनके आवास समूह में होते है। भुंजिया जनजाति बाहूल निवासरत ग्रामों में इनके पृथक से पारा होता है जिसे **''भुंजिया पारा''** कहा जाता है। भुंजिया ग्रामो की बनावट अन्य ग्रामो की भांति होती है।

ग्राम बसाहट

भुंजिया जनजाति निवासरत ग्राम आयताकार, गोलाकार या लम्बवत भौगोलिक स्थिति के अनुरूप होता है। ग्राम में प्रवेश करने पर संपर्क सड़को से एक कच्चा मार्ग ग्राम में प्रवेश करता है। इस कच्चे मार्ग के दोनो ओर घर बने होते है। ग्राम के प्रारंभ या अंत में ग्राम देवी–देवी का स्थान होता है। जहां वर्ष मे कम से कम एक पूजा अर्चना की जाती है। ग्राम के मध्य या प्रारंभ में एक वृक्ष के नीचे एक बड़ा चबुतरा होता है जहां ग्रामवासी अपनी बैठकें या सामान्य चर्चा हेतु भी एकत्र होते है। ग्राम चारों ओर से खेत या जंगल से घिरा होता है। ग्राम सीमा मे ही दैनिक उपयोग जैसे स्नान, मवेशियों के स्नान आदि हेतु तालाब होता है। साथ ही ग्राम बसाहट में एक खुला

मैदान होता है जिसे दईहान कहा जाता है यहां प्रत्येक दिन प्रातः मवेशियो को इकट्ठा किया जाता है फिर उन्हें चरवाहा पशुओं को चराने जंगल ले कर जाता है और दिन ढलने के पहले वापस उनके स्वामी के घर तक छोड़ता है। ग्रामवासियों द्वारा चरवाहे को उसे पारिश्रमिक के रूप में वर्ष में एक बार उसे धान या कुछ राशि देते है। ग्राम सीमा के बाहर ही एक निश्चित स्थान पर ग्राम का शवाधान स्थल होता है जहां मृतकों दफनाने या जलाने का कार्य किया जाता है।

घरों की बनावट

भुंजिया जनजाति के घर प्रायः मिट्टी निर्मित, छत खपरैल की होती है जिसमें प्रांगण रूप में घर की बनावट होती है। आवास की परिधि में मोटी–मोटी लकड़ियों का घेरा किया जाता है। जो एक घर को दूसरे घर से पृथक करता है। इस घेरे के भीतर ही प्रवेश द्वार से क्रमशः इनके पशु हेतु कोठा (पशु घर), मुख्य आवास, पृथक से लाल बंगला निर्मित किया जाता है। मध्य में पूर्वज देव या पितर देव का स्थान होता है तथा एक ओर वनोपज संग्रहण की वस्तुएं तथा मवेशियो हेतु चारा या पैरा रखा जाता है। कृषि कार्य पूर्ण हो जाने पर कृषि उपयोगी उपकरण जैसे **नांगर** (हल), नांगर जुड़ा को घर की मुख्य दीवार पर **खुंटी** (लकड़ी की ठूंठ) के सहारे टांगकर सुरक्षित रखा जाता है। शेष बड़े उपकरण जैसे **बेलन, कोपर, गाड़ा** (बैलगाड़ी) को आवास के पास ही बाहर रखा जाता है।

भुंजिया जनजाति द्वारा अपने घर स्वयं बनाये जाते है जिसके लिए आवश्यक सामाग्री जैसे – मिट्टी, लकड़ी, बांस, खदर/घास आदि खेतों से तथा जंगल से सरलता से प्राप्त हो जाते है। घरों के निर्माण में परिवार एवं ग्राम के सदस्यों की सहायता ली जाती है। गृह निर्माण हेतु मिट्टी बनाने (मिट्टी के लोंदे बनाने), खपरैल, ईंट आदि स्वयं द्वारा तैयार किया जाता है। घर प्रायः 1–2 कमरे का होता है घर के दो मुख्य भाग होते है पहला परछी एवं दूसरा मुख्य कक्ष। परछी घर के प्रवेश पर सामने का कक्ष होता है इसमें सामने दीवार नही होती है। यह भाग आगंतुको हेतु तथा दैनिक कार्य करने हेतु उपयोग किया जाता है। परछी के भीतर एक मुख्य कक्ष होता है। मुख्य कक्ष में शयन की सामाग्री होती है जिसके एक दीवार पर रस्सी की सहायता से एक लंबे बांस को क्षैतिज बांधा जाता है। जिसे **अड़गसनी** कहते है। अड़गसनी में **चादर, कथरी** व **उपयोगी कपड़ो** को रखा जाता है।

आवास निर्माण

भुंजिया जनजाति में आवास निर्माण के लिए किसी विशेष दिन की मान्यता नही है। प्रायः घर नव दत्पत्ति के द्वारा विवाह उपरांत बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त घर क्षतिग्रस्त हो जाने पर पुनः निर्माण किया जाता है। घर बनाने में पुरूष एवं महिला दोनो का सहयोग होता है किन्तु अलग–अलग कार्य अलग–अलग वर्ग द्वारा किया जाता है। गृह निर्माण हेतु जंगल से लकड़ी लाले, मिट्टी बनाने (मिट्टी खोदकर उसे गीला कर मिट्टी के लोंदे बनाने का कार्य), छानही छाना (छत बनाना) पुरूष वर्ग का कार्य है। इसमें महिलाओं का सम्मिलित होना निषेध है। वहीं फर्श की लिपाई, दीवारों की पुताई, चुल्हा बनाने का कार्य महिला वर्ग द्वारा ही किया जाता है। दीवार की छबाई महिला–पुरूष मिलकर कर सकते है।

घर प्रायः लकड़ी, मिट्टी और घास–फूंस से बनाया जाता है। घर बनाने हेतु लकड़ी प्रयुक्त लकड़ी लाने घर का मुखिया (पुरूष) उपवास की अवस्था में जंगल जाता है और अपने साथ चांवल लेकर जाता है जंगल में जिस पेड़ की लकड़ी लानी होती है उस पर वह चांवल छिंटता है ओर विनती कर लकड़ी काटकर लाता है। पूर्व में इसकी दीवार बनाने के लिए कर्रा लकड़ी का उपयोग ही मुख्य रूप से किया जाता था। निर्माण प्रक्रिया में सर्वप्रथम दीवार बनाने वाले स्थान को आयताकार रेखा में एक फीट गहराई में खोद लिया जाता है। आयताकार स्थान पर 11 खम्भे (**कर्रा** लकड़ी) को उद्धर्वाधर पक्ति में गड़ा लिया जाता है। वहीं पास में मिट्टी भीगा कर रखा जाता है। इस भीगी मिट्टी में बंधन बनने हेतु एक तिहाई से आधे की मात्रा में **पेरौसी** (धान भी कुटने के बाद निकली भूसी) मिलाकर लोंदे बनाए जाते है। मिट्टी के गीले लोंदे को एक के उपर एक रख कर क्रमशः 3–4 फीट की दीवार बनाई जाती है इसके बाद इसे रात भर सुखने दिया जाता है ताकि मिट्टी गिले होने और अपने वजन से गीर या धसक न जाये ।

दूसरे दिन पुनः उस दिवार पर 3–4 फीट तक मिट्टी के लोंदे रखे जाते है। इस प्रकार 8–10 फीट की दीवार बनाई जाती है। इसी समय दरवाजे हेतु चौखट लगाई जाती है।

भुंजिया जनजाति में घर की चौखट में नीचे लकड़ी नही होती है। दाये और बाये के चौखट की लकड़ी को सीधे जमीन में गाड़ दिया जाता है **क्योंकि भुंजिया जनजाति की महिलाएं क्षैतिज रखी लकड़ी को कभी लांघती नही है।''** दीवार बनने के बाद उर्द्धवाधर खम्भों के उपर क्षैतिज रूप से दीवार की कुल लंबाई के बराबर लंबी और मोटी लकड़िया रखी जाती है जिसे **पाटी** कहते है। पाटी के उपर उनकी कुल लंबाई से 2–3 फींट ज्यादा लंबाई में बांस बिछाया जाता है जिसे **छर्रा** कहा जाता है।

पाटी और छर्रा के बीच लंबाई में लकडियों की पंक्ति बिछाई जाती है जिसे **कांड** कहते है। कांड बिछ जाने के बाद उसकी छत को मिट्टी से बने खपरैल को क्रमशः पंक्तिबद्ध रूप में लगाया जाता है। पूर्व में खपरैल की जगह **खदर घास, शुक्ला घास, सिंहारी या बोदेल पत्ता** का उपयोग किया जाता था। छत बनने के बाद इनकी भीतर और बाहरी दीवारों पर गीली मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है। यह परत दो–तीन दिन मे सुख जाती है इसके बाद इसके उपर गीली लाल मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है। जिसके सुख जाने के बाद इसी पुताई काली मिट्टी में लकड़ी का कोयला मिलाकर लेप से की जाती है। तत्पश्चात इसके फर्श को काली मिट्टी की सहायता से समतल किया जाता है और यह परत सुख जाने के बाद इसे विशेष रूप से गाय के गोबर से लिपाई की जाती है। इस प्रकार घर मूल ढांचा निर्मित हो जाता है।

घर निर्माण उपरांत ईष्ट देव और डुमा पितर की पूजा कर आवास का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया जाता है।

आवास प्रकार

सर्वेक्षण अनुसार भुंजिया जनजाति के मूल आवास का प्रकार निम्नानुसार है –

क्र.	विवरण	आवास	
		संख्या	प्रतिशत
1	कच्चा	83	41.50
2	पक्का	48	24.00
3	अर्द्धपक्का	69	34.50
योग		200	100.00

उपरोक्तानुसार भुंजिया जनजाति में अधिकतर आवास कच्चे अथवा अर्ध पक्के अर्थात् मिट्टी, लकड़ी, ईंट आदि के द्वारा स्वनिर्मित होते है। कही–कही पर परसंस्कृतिग्रहण एवं आर्थिक रूप से उन्नत हुए कुछ परिवारों के आवास पक्के प्रकृति के दिखाई पड़ते है। जिनकी संख्या प्रायः कम है।

भौतिक संस्कृति

भौतिक संस्कृति से तात्पर्य किसी समुदाय विशेष अथवा परिवार के आवास, रहन, सहन, दैनिक क्रिया–कलापों एवं आर्थिक उपार्जन से संबंधित उपलब्ध उपकरणों से है। जिसके माध्यम से वे अपने पारिवारिक जीवन का निर्वाह करते है। भुंजिया जनजाति में भौतिक संस्कृति का विवरण निम्नांकित है –

उपकरण

1. **घरेलु उपकरण**

भुंजिया जनजाति में दैनिक उपयोग हेतु घरो मे रसोई एवं अन्य घरेलु उपकरण के रूप में निम्नांकित वस्तुओं/उपरकरणो का उपयोग किया जाता है –

क्र.	उपकरण	उपयोग	धातु/मिट्टी/लकड़ी से निर्मित
1.	नोखी	पानी भरने हेतु	धातु
2.	गोरिया		
3.	बाल्टी		
4.	गंजी		
5.	नोखि (रांगा), हड़िया	भात बनाने हेतु	धातु/मिट्टी

6.	कढ़ही, खोपली	सब्जी बनाने हेतु	धातु, मिट्टी
7.	चाटु, बेला	दाल निकालने हेतु	धातु एवं लकड़ी
8.	तासनी	सब्जी निकालने हेतु	तासनी
9.	जांता	अनाज पीसने हेतु	पत्थर एवं लकड़ी
10.	ढेंकी	अनाज कुटने हेतु	लकड़ी एवं धातु
11.	सूपा	अनाज साफ करने	बांस
12.	परली	अनाज रखने का छोटा पात्र	बांस, लकड़ी
13.	कोरली	चांवल बनाने से पहले धोने हेतु	धातु
14.	सील–लोढ़ा	चटनी/मसाला पिसने	पत्थर
15.	चुल्हा	भोजन पकाने	मिट्टी
16.	गिलास	पानी पीने	धातु
17.	लोटा		
18.	थारी	भोजन करने	
19.	बटकी	बासी खाने	
20.	लाहंगी	कपड़ा टांगने हेतु	
21.	पौसाल	सब्जी काटने हेतु	
22.	बेला	पकी हुई दाल निकालने	बांस
23.	पाटा	बैठने हेतु	लकड़ी
24.	अड़गसनी	कपड़े लटकाने हेतु	बांस एवं रस्सी

2. **कृषि उपकरण**

भुंजिया जनजाति मे कृषि कार्य के समय विभिन्न आयामों हेतु पृथक–पृथक परम्परागत उपकरणों, एवं औजारो का उपयोग किया जाता है, जो निम्नांकित है–

क्र.	उपकरण	उपयोग
1.	नागोल/नांगर	जमीन की जुताई
2.	बैल जुड़ा	बैलों को एक साथ बांधने हेतु
3.	सुर	धान का बीड़ा लाने
4.	दोघा/बेलन	कटे धान के पौधे से बीज अलग करने
5	कलारी	पैरा से धान अलग करने
6.	इला/हसिया	फसल काटने
7.	मांची	धान संग्रहण करने
8.	रांपा	समतल करने
9.	कुदारी	मिट्टी खोदने
10.	चकधरी	खोदने
11.	टांगी	लकड़ी काटने
12.	गैंती	मिट्टी खोदने

13.	छापी	मिट्टी फेंकने
14.	साबर	खोदने
15.	दौरी	मिसाई में बैलों को बांधने
16.	खरही	खलिहान में संग्रहण
17.	कोठी	घर मे अनाज के भण्डारण

3. **शिकार उपकरण**

भुंजिया जनजाति मे शिकार उपरकरण निम्नांकित है –

क्र.	शिकार / मत्स्याखेट के उपकरण	उपयोग
1.	धनुउ – कांड	छोटे जीव–जन्तुओं का शिकार
2.	टंगली	काटने हेतु
3.	धनउ गुलेल	पक्षियों के शिकार
4.	गुठ्ठा	पक्षियों के शिकार
5.	चोभा	मछली मारने
6.	टोहेला	मछली मारने
7.	चुहा–थुंगा	चुहा फंसाने का जाल
8.	भठेला तार / थूंगातार	खरगोश फसाने
9.	गरी जाल	मछली फसाने
10.	झोकनी	
11.	दांदर	
12.	थांपा	
13.	चोप	पक्षी जाल
14.	फरसा	मूर्गी काटने का
15.	छूरी	बकरा काटने का

4. **माप–तौल के स्थानीय उपकरण एवं माप**

भुंजिया जनजाति द्वारा परस्पर अनाज, वनोपज आदि के माप हेतु पारम्परिक तकनीक के मापक उपकरणों का उपयोग किया जाता है जो निम्नांकित है –

क्र.	उपकरण	पैमाना
1.	सोला	1 / 2 किलोग्राम
2.	ओड़ा	1 किलोग्राम
3.	मान	4 किलोग्राम
4.	शेर	1 किलोग्राम (धान मापने)
5.	काठा	3 किलोग्राम (धान मापने)

परिधान, साज–श्रृंगार एवं आभूषण

1. पुरूषों का श्रृंगार

भुंजिया जनजाति के पुरूष प्रायः सफेद धोती एवं बंडी एवं पटका धारण करते है। इनके द्वारा गले में चैन या नकली माला, कलाई मे कड़ा, अंगुलियो मे बनावटी या धातु की अंगुठी तथा कमर मे **चाम** पहनते है। छोटे बालक कमीज, हाफ पैन्ट पहनते है।

विवाह के समय पुरूषो का श्रृंगार विशेष होता है, विवाह मे वर को एक राजा के समान तैयार किया जाता है जिसमें उसे सिर पर **पगड़ी, माथे पर बिन्दी, लाल बंदन का टीका, कान मे बाला, मोती माला या हार** के साथ पगड़ी पर **छिंद पत्ते का मौर** धारण करता है।

2. स्त्रियों का श्रृंगार

भुंजिया जनजाति की महिलाएं प्रायः स्वच्छ कपड़े धारण करना एवं शारीरिक रूप से स्वच्छ रहना अधिक पसंद करती है। इनमे सधवा (विवाहित) महिलाएं प्रायः श्वेत साड़ी पहनना पसंद करती है। महिलांए बाल मे चपकैन, किलीप, कान मे खिनवा, बाली, गले में सुता, बंदा, माला, मोती माला, नकली माला, बांह मे पहुंची, नागमोरी, कलाई पर कड़ा, कांच की चूड़ी, ऐंठी, कमर मे करधन, पैर में पायल, पैड़ी, चुड़ा (कांसा धातु का), पैरों की उंगलियो मे चांदी की बिछिया पहनती है।

विवाह अवसर पर सफेद साड़ी मे अपना पूर्ण श्रृंगार करती है, साथ ही आंखो मे काजल, माथे पर बिन्दी, पैर में महुर लगाती है तथा माथे पर छिंद पत्ते का मौर धारण करती है।

बालिकाएं केश की चोटी मे फूंदरा, फीता, माथे मे बिंदी, गले में बंदा, माला, मोती माला, नकली माला का श्रृंगार करती है।

इनमें विधवा महिला द्वारा विवाहिता महिला का श्रृंगार नही किया जाता वरन् केश की चोटी मे फीता, हाथ की कलाई मे बिना जोड़ की 3–3 की संख्या में चांदी का पट्टा पहनती है।

भुंजिया जनजाति की महिलाओं में गोदना, गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। इस संबंध मे मान्यता है कि, लड़किया अपने माता पिता के घर रहकर पलती एवं बढ़ती है तथा उसे अपना शेष जीवन पति के घर पर जाकर बिताना पड़ता है जहां उसे अपने माता पिता की याद आती है तो वह उस गोदने को देखकर माता पिता की पहचान स्वरूप उनकी याद मे प्रफुल्लित होती है तथा यह भी माना जाता है कि माता पिता द्वारा पुत्री को जितना भी साज–श्रृंगार वस्तु भेंट की जाती है। वह एक दिन समाप्त हो जाती है किन्तु माता पिता के यहां बचपन में गुदवाये गये गोदने मृत्यु पर्यन्त उनके साथ रहते है।

गोदने को नारी श्रृंगार के रूप में भी भुंजिया जनजाति में देखा जाता है। इनके विभिन्न आकार एवं प्रकार के गोदने माथे, गले, बांह, कलाई, पैर आदि अंगों पर किये जाते है।

==0==

अध्याय 04

सामाजिक संरचना

किसी भी समुदाय ग्रामीण, शहरी हो या आदिवासी उनमे जाति व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था अनिवार्यतः पायी जाति है जो उनके सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती है। जाति अथवा समुदाय के नियमों का पालन अनिवार्यतः प्रत्येक व्यक्ति को उस समुदाय विशेष का सदस्य होने के नाते करना पड़ता है। भुंजिया समुदाय मे उपजाति, गोत्र, गोत्र समूह, भातृदल, नातेदारी, परिहास एवं परिहार नातेदारी, अर्न्तजातीय संबंध, निषेध आदि की मान्यताएं प्रचलित है। जिनका विवरण निम्नांकित है –

उपजाति

भुंजिया जनजाति में प्रमुख रूप से **चौखुटिया** एवं **चिंदा** भुंजिया नामक 02 उपजातियां पायी जाती है। चौखुटिया भुंजिया परम्परागत रूप से स्वयं को अधिक शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र मानते हुए चिन्दा भुंजिया से उच्च मानते हुए विभिन्न सामाजिक नियमो को एक दूसरे के साथ साझा नही करते है।

मूलतः भुंजिया जनजाति की उपरोक्त 02 ही उपजातियां है। किन्तु वर्तमान मे उड़ीसा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों से लगे हुए होने के कारण एवं सामाजिक नियमों, रीति–रिवाजों मे परिवर्तन आदि के कारण उड़ीसा सीमा से सटे हुए महासमुंद जिले के खल्लारी क्षेत्र के भुंजियाओं को **''खल्लारिया''** भुंजिया भी कहा जाने लगा है।

वंश व्यवस्था

भुंजिया जनजाति में गोत्र व्यवस्था एक वंश को दर्शाता है। समगोत्री सदस्य एक वंश के माने जाते है। जो वंशानुगत होते है। वंश पितृ पूर्वज आधारित होती है। सामान्यतः पितृ पूर्वज कम से कम 4–5 पीढ़ी पूर्व के वास्तविक/काल्पनिक/पौराणिक पूर्वज भी होते है। यह वंश व्यवस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है।

भुंजिया जनजाति स्वयं को **कछिन** (कछुआ) वंश या नेताम वंश के तथा **मेचका** (मेंढ़क) वंश या मरकाम वंश के मानते है। इनकी मान्यता अनुसार कछुआ एवं मेंढ़क द्वारा इनके प्रारंभिक

पूर्वजों की रक्षा की गई थी। अतः आज भी उनसे उत्पन्न संताने उनके वंशज के रूप में जीवित है अतः स्वयं को भुंजिया इनके वंशज होना मानती है।

गोत्र

गोत्र व्यवस्था किसी समाज विशेष के सामाजिक जीवन का एक प्रमुख आधार है। सामान्यतः गोत्र वंश को प्रदर्शित करता है। समगोत्रीय सदस्य परस्पर भाई माने जाते है। विवाह संबंध विषम गोत्र में ही स्थापित किये जाते है। सामान्यतः वंश की भांति गोत्र का प्रारंभ परिवार के किसी पूर्वज (पौराणिक/ काल्पनिक/वास्तविक) से होता है। गोत्र सदैव एकपक्षीय (Unileteral) होते है। अर्थात किसी गोत्र का निर्माण कभी भी माता एवं पिता दोनों पक्षों के वंश समूह को मिलाकर नही होता है। राज्य की भुंजिया जनजाति में भी गोत्र पितृवंशीय आधार के होते है।

भुंजिया जनजाति के गोत्र **बर्हीविवाही (Exogamus)** समूह है। चूंकि एक गोत्र के समस्त सदस्य अपनी उत्पत्ति एक समान पूर्वज से एवं एक वंश से मानते है। अतः आपस मे भाई–बहन का संबंध रख कर परस्पर विवाह को वर्जित मानते है। भुंजिया जनजाति में **नेताम, पुजारी, पाती, सुआर, देवछाखर** आदि गोत्रनाम पाये जाते है।

गोत्र विभाजन

भुंजिया जनजाति मे गोत्र विभाजन नेताम एवं मरकाम वंश समूह के आधार पर पाया जाता है। जो निम्नांकित है –

(अ) नेताम वंश समूह

भुंजिया जनजाति में नेताम गोत्र अथवा वंश समूह को उच्च माना जाता है। नेताम गोत्र का गोत्र चिन्ह (टोटम) **कछुआ** है। नेताम वंश समूह अन्तर्गत सात (07) भाई होते है, जो उनके कुल को दर्शाते हुए उपगोत्रीय व्यवस्था में विभक्त है, ये सात भाई निम्नानुसार है –

1. पुजारी

नेताम वंश में पुजारी उपगोत्रनाम को बड़ा माना जाता है। इसे चौखुटिया भुंजिया का राजा माना जाता है। यहां राजा का तात्पर्य कुल देवता/बुड़ा देव का पुजारी से है। केवल पुजारी वंश के द्वारा ही ईष्ट देवता/कुल देवता की पूजा की जाती है। पुजारी के घर की महिलायें कांच की चुड़ी नही पहनती है, केवल चांदी या गिलेट का पट्टा पहनती है।

2. पाती

पाती का स्थान दूसरे ज्येष्ठ भाई का होता है। इसे इनकी व्यवस्था में मंत्री का स्थान प्राप्त है। पाती भी दो उपभागों में बांटा गया है –

(अ) **पाती** वंश राजकार्य करता है।

(ब) **राजपाती** – ये व्यवस्था में मंत्री का कार्य करता है तथा साथ ही इनके द्वारा पुजारी की अनुपस्थिति में पूजा का कार्य भी किया जाता है।

3. आमारूखिया

आमारूखिया का स्थान तीसरा होता है। यह गोत्र व्यवस्था अनुरूप समाज मे नियमों का पालन कराता है और शांति बनाये रखने का कार्य करता है तथा देवता के रूष्ठ हो जाने पर उसे मनाने का कार्य आमारूखिया वंश द्वारा किया जाता है।

4. केन्दुबहरिया

यह सात भाईयों का पहलवान होता है अर्थात युद्व/लड़ाई का कार्य केन्दुबहरिया वंश द्वारा किया जाता है। यह वंश वीर काछन देवता की पूजा करता है।

5. देवझाखर

यह वंश सिरहा का कार्य करता है। सिरहा रोग निवारण का कार्य करता है इसके लिए देवता भी झुपता है और देवता को मनाकर रोग व्याधा का निवारण करता है।

6. डुमरबहरिया

डुमर बहरिया वंश घरेलु कार्य करता है साथ ही राजकार्य में पाती का सहयोग भी करता है।

7. सुवार

यह वंश सात भाईयों में सबसे छोटा भाई है इसका कार्य सभी भाईयों के लिए खाना बनाना व साफ–सफाई का कार्य करता है। यह वंश काल्हा देव को मानता है।

भुंजिया जनजाति में सामाजिक समस्याओं के निराकण मे उपरोक्त वंश के सदस्यों का होना अनिवार्य है तथा इनके द्वारा ही सामाजिक नियमों के आधार पर समस्या का निदान किया जाता है।

(ब) मरकाम वंश समूह

मरकाम गोत्र अथवा वंश समूह का गोत्र चिन्ह (टोटम) मेचका (मेंढ़क) है। मरकाम गोत्र के छः (06) भाई है, जो उनके कुल को दर्शाता है। ये छः भाई निम्न है –

1. नाईक

नाइक वंश का कार्य धर्मकार्य का होता है। इनके द्वारा शादी–विवाह का कार्यक्रम/कर्मकाण्ड सम्पन्न कराया जाता है। साथ ही खरी बिचारना (भविष्यवाणी करना) तथा विवाह में उपयोग होने वाला **''मौर''** (बांस से बना मुकुट) इन्ही के द्वारा बनाया जाता है। नाईक वंश के सदस्य माही **चिरई** (कुमेट पक्षी) को अपना कुल देव मानते है। इसलिए ये इनकी हत्या नही करते और न ही इसे खाते है। इनकी उत्पत्ति स्थल खालगढ़ मेचका को माना जाता है। वनस्पति गुरू, ठाकुरदेव, जागेमाता, काना भैरा, बगदई इनके ईष्ट देव है।

2. सरमत

ये इन 06 भाईयों में दूसरा ज्येष्ठ भाई है। सरमत वंश के लोग डुमा पितर को मानते है, परिवार में किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे डुमा पितर माना जाता है। इनके दो भाग है –

(अ) **बडे सरमत** – ये सीघा गुरू, चारबहिनिया को अपना ईष्ट मानते है।

(ब) **छोटे सरमत** – ये देव सोनवानी को अपना ईष्ट मानते है।

3. **मरई**

इन्हें मरकाम गोत्र का मंत्री माना जाता है जो राजकार्य में सहयोग करता है।

4. सेठ

यह वंश उड़ीसा जामपानी में निवासरत है। ये भेलवा पाठ, ठाकुर देव, धारनी, रामगुरू, को अपना ईष्ट देव मानते है। इनके द्वारा हरेली त्योहार नही मनाया जाता है।

5. भवरगढ़िया

यह वंश बुढ़ादेव, धारकी देवी, डुमापितर को मानता है। इनकी उत्पत्ति पैरी नदी के भंवरगढ़ से मानी जाती है।

6. पोटियाहा

यह वंश मरई वंश का मिश्रित समूह है। ये अपना ईष्ट कचना धुरवा को मानते है। साथ ही आराध्य में दलहन गुरू, ठाकुर देव को मानते है।

भातृदल (Phratry)

भुंजिया जनजाति में गोत्र विभाजन के आधार पर भातृदल समूह का निर्माण पाया जाता है। सामान्यतः किसी समाज में अपने सामाजिक संगठन को मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था को विकसित किया जाता है। जिसमें कई गोत्र आपस में मिलकर एक वृहद समूह का निर्माण कर लेते है। उसी प्रकार भुंजिया जनजाति के नेताम (कछुआ) वंश मे 07 भाईयों का एक दल एवं मरकाम (मेंढ़क) वंश में 6 भाईयों का एक दल अर्थात 02 दल भुंजिया समुदाय के सामाजिक संगठन को मजबूती दिये जाने के उद्देश्य से विकसित किये गये है।

नातेदारी व्यवस्था

किसी व्यक्ति का सामाजिक संबंध एकाधिक व्यक्तियों से होता है किन्तु सबसे महत्वपूर्ण एवं निकट संबंध उन व्यक्तियों से होता है जो रक्त संबंधों एवं विवाह बंधन पर आधारित होते है। उसी प्रकार भुंजिया जनजाति में प्रमुख रूप से 02 प्रकार की नातेदारी व्यवस्था पायी जाती है।

1. **रक्त संबंधी नातेदारी** (Consanguineous Kinship)

इस प्रकार की नातेदारी के अंतर्गत वे लोग आते है जो समान रक्त के आधार पर एक–दुसरे से संबंधित होते है। जैसे माता–पिता और उनके बच्चो के बीच अथवा दो भाइयों के बीच या भाई–बहन के बीच का संबंध रक्त संबंध कहलाता है ।

2. **विवाह संबंधी नातेदारी** (Affinal Kinship)

इस प्रकार के नातेदारी संबंध में विवाह संबंध द्वारा पति–पत्नि और दोनो परिवारों के अन्य संबंधी भी आते है। जैसे पति–पत्नि के माता–पिता, पत्नि का भाई व बहनोई, सास–दामाद, साली–जीजी, नंनदोई, मौसा, साढू आदि।

निकटाभिगमन या परिहार संबंध (Avoidance Relationship)

भुंजिया जनजाति में हास परिहास के संबंधों के साथ ही ऐसी नातेदारी व्यवस्था है जिसमें सदस्य परस्पर एक दूरी बनाते हुए संवाद करते है और इनके मध्य **परिहास का संबंध** नही पाया जाता है। इनमें कुछ विशिष्ट वैवाहिक संबंधियों से व्युत्पन्न नातेदारों को दूर रखकर प्रत्यक्ष बात–चीत नही की जाती है। एक–दूसरे को स्पर्श करना वर्जित होता है। **परिहार संबंध** के अंतर्गत आने वाले समस्त संबंधियों को आपस में परिहार नियमों का पालन करना पड़ता है। ये संबंधी उनके समीप भी खड़े नही होते तथा उनके स्पर्श से भी दूरी बनाए रखते है। ऐसे संबंध परिहार संबंध कहलाते है। जिसे मानवशास्त्रीय भाषा में **निकटाभिगमन** भी कहा जाता है। भुंजिया जनजाति में परिहार संबंधी निम्नानुसार होते है –

1. जेठ – बहू
2. ससूर – बहू
3. सास – दमाद
4. दमाद – ढेड़सास आदि।

निकटागमन या परिहास संबंध (Joking Relationship)

भुंजिया जनजाति बहुत ही सादगी से जीवन व्यतीत करती है। नातेदारी में स्नेह व आदर तो होता ही है साथ ही इन कुछ नातेदारी में आपसी परिहास का संबंध भी पाया जाता है। जिसे सामान्य तौर पर **"हसी–ठिठोली नता"** भी कहा जाता है। सामान्यतः परिहास संबंधों में विवाह संबंधियो मे प्रायः हास–परिहास के कारण आपसी संबंध मधूर होते है तथा कभी–कभी दो व्यक्ति इस संबंधों के कारण बहुत ही निकट आ जाते है। जिसे मानवशास्त्रीय भाषा में **निकटागमन** भी कहा जाता है। इस प्रकार के संबंधों को सामाजिक रूप से अधिमान्यता दी जाती है। हास–परिहास संबंधो का एक सामाजिक उद्देश्य आपसी रिश्तों में निकटता लाना एवं सामाजिक संगठन को मजबूत करना

भी है। परिहास संबंध में एक दूसरे को किसी अन्य उपनाम से पुकारने या चिढाने या हसी–ठीठोली या झूठ बोलने वाली बाते भी मजाक के रूप में कही जाती है।

भुंजिया जनजाति में परिहास संबंध नातेदार निम्नानुसार है –

1. देवर–भाभी
2. जीजा–साली, साला
3. समधी–समधन
4. दादा–नाती, दादी–नाती, नानी–नातिन
5. साढू–साढू
6. सास–दामाद आदि।

माध्यमिक संबोधन (Teknonymy)

नातेदारी व्यवस्था की एक और रीति माध्यमिक संबोधन है, इस रीति को माध्यमिक संबोधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रीति के अनुसार एक संबंधी को संबोधन करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है। क्योंकि उस संबंधी को उसके नाम से पुकारना सामाजिक रूप से वर्जित होता है। भारत के प्रायः ग्रामीण अथवा जनजातीय समुदायों में सामान्यतः पत्नी द्वारा पति का नाम लेना सामाजिक वर्जना के रूप में देखा जाता है।

भुंजिया जनजाति के परिवारों में भी इस प्रकार की रीति देखने को मिलती है जिसमें पत्नी का पति हेतु, बहू का सास एवं ससूर हेतु, सूसर का बहू हेतु, मामी का भांजा या भांजी के लिए संबोधन के रूप मे **माध्यमिक संबोधन** का उपयोग किया जाता है। माध्यमिक संबोधन निम्न प्रकार का होता है – **ये षड़कान, ये मछलान, ये छेदलाइन, सुनथस काय गा (सुन रहे हो क्या), भठियारिन (अर्थात् भठिया ग्राम की), छोटेन के बाबू (अर्थात् छोटे बच्चे के पिता), कनवा (कम सूनने वाला)** आदि। तथा परिहार नातेदार एक दूसरे का नाम भी नही लेते और यदि उन्हें बुलाना या किसी से उसके बारे में बात करते समय उनके मूल नाम के स्थान पर उनके बच्चों के नाम, ग्राम के नाम या अन्य उनसे जुड़े नामों का प्रयोग किया जाता है।

नातेदार संबोधन एवं शब्दावली (Kinship terms)

एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों या अपने संबंधियों को शब्दनाम विशेष से पुकारते अथवा संबोधित करते है। भुंजिया जनजाति में रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी नातेदार शब्दावलियां एवं संबोधन किसी व्यक्ति के लिए (Δ ईगो) वंशावली अनुसार निम्नांकित है –

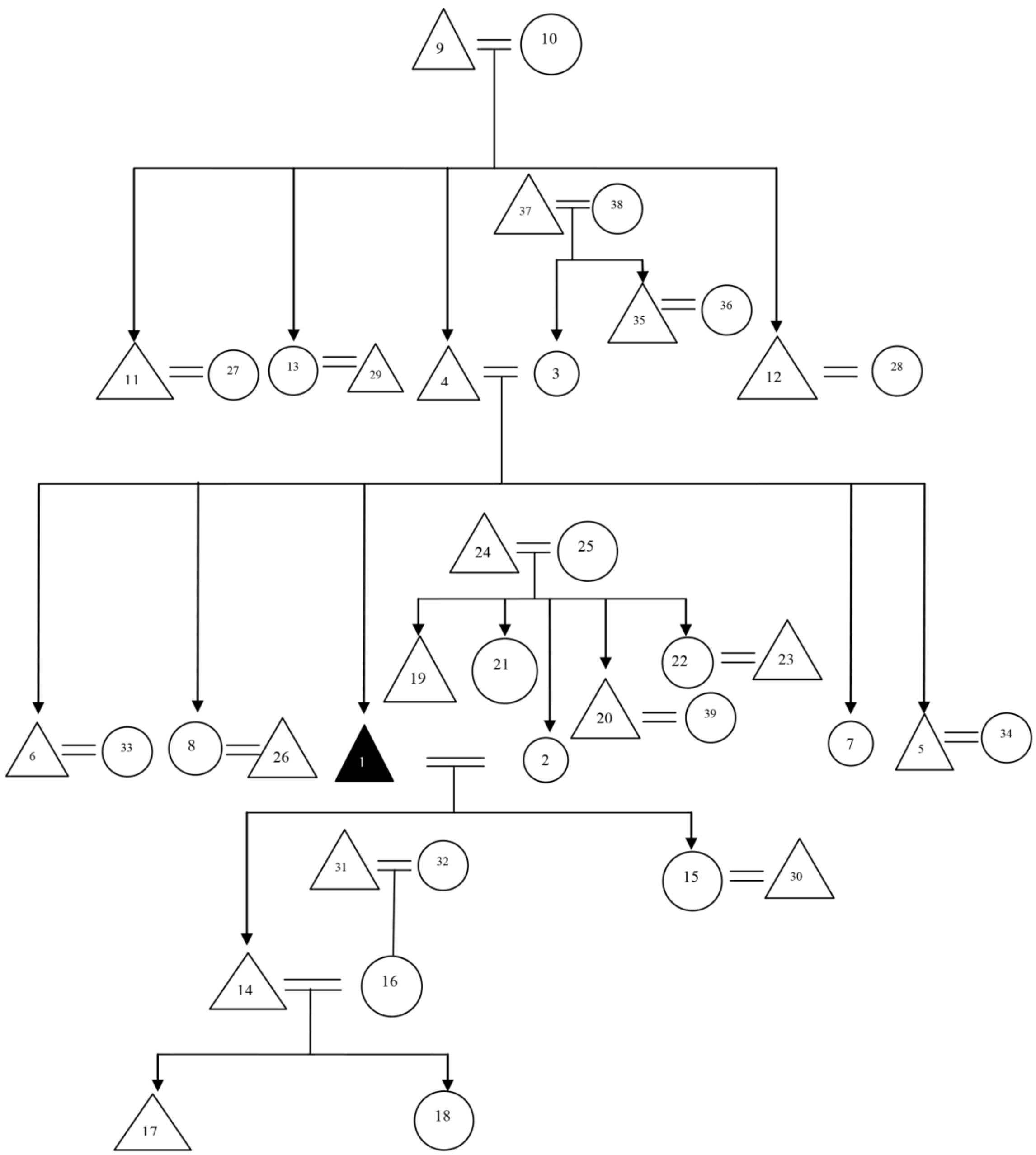

नातेदारी संबंध (**Kinship Relation**)

क्र.	संबंध	वंशावली उल्लेख	संबोधन
अ	**रक्त संबंधी नातेदार**		
1	स्वयं (ईगो)	1	–
2	स्वयं की पत्नी	1–2	सुवारी / बाई
3	स्वयं की माता	1–3	ओया
4	स्वयं का पिता	1–4	बूबा
5	स्वयं का छोटा भाई	1–5	पीला भाई
6	स्वयं का बड़ा भाई	1–6	दादा
7	स्वयं की छोटी बहन	1–7	पीला बहिनी (नोनी)
8	स्वयं की बड़ी बहन	1–8	दीदी
9	स्वयं के पिता के पिता	1–4–9	दादी
10	स्वयं के पिता की माता	1–4–10	आमा
11	पिता के बड़े भाई	1–4–11	बोड़ू
12	पिता का छोटा भाई	1–4–12	काका
13	पिता की बहन	1–4–13	आता
14	स्वयं का पुत्र	1–14	बेटा, बाबू
15	स्वयं की पुत्री	1–15	बेटी, नोनी
16	स्वयं के पुत्र की पत्नी	1–14–16	बोहारी
17	स्वयं के पुत्र का पुत्र	1–14–17	नाती
18	स्वयं के पुत्र की पुत्री	1–14–18	नातिन
ब	**विवाह संबंधी नातेदार**		
21	स्वयं की पत्नी का बड़ा भाई	1–2–19	डेढ़सारा
22	स्वयं की पत्नी का छोटा भाई	1–2–20	सारा
23	स्वयं की पत्नी की बड़ी बहन	1–2–21	डेढ़सास
24	स्वयं की पत्नी की छोटी बहन	1–2–22	सारी
25	स्वयं की पत्नी की बहन का पति	1–2–23	साढ़ू
26	स्वयं की पत्नी के पिता	1–2–24	ममा
27	स्वयं की पत्नी की माता	1–2–25	आता
28	स्वयं की बड़ी बहन का पति	1–2–26	भाटो
29	स्वयं के पिता के बड़े भाई की पत्नी	1–2–27	बड़ी
30	स्वयं के पिता के छोटे भाई की पत्नी	1–2–28	काकी
31	स्वयं के पिता के बहन का पति	1–2–29	ममा, फूफा
32	स्वयं की पुत्री का पति	1–15–30	दमाद
33	स्वयं के पुत्र की पत्नी का पिता	1–14–16–31	समधी
34	स्वयं के पुत्र की पत्नी की माता	1–14–16–32	दीदी / समधीन

35	स्वयं के बड़े भाई की पत्नी	1–6–33	बोदो
36	स्वयं के छोटे भाई की पत्नी	1–5–34	बहू
37	स्वयं की माता का भाई	1–3–35	ममा
38	स्वयं की मां के भाई की पत्नी	1–3–35–36	आता
39	स्वयं की मां का पिता	1–3–37	आजू
40	स्वयं की मां की माता	1–3–38	बूढ़ी
41	स्वयं के पत्नी के भाई की पत्नी	1–2–20–39	दीदी
42	पति का छोटा भाई	2–5	देवर
43	पति के भाई की पत्नी	2–5–34	देरानी

परिवार एवं परिवार प्रकार

प्रत्येक समाज चाहे आदिम हो या आधूनिक परिवार का होना अत्यावश्यक होता है। प्रागैतिहासिक कालीन व्यवस्था के तहत विकासीय चरणों में एकाकी जीवन, यौन साम्यवाद, कबीलाई जीवन आदि की प्रक्रिया से गुजरते हुए मानव समुदाय द्वारा अपने जीवन को संगठित करने बौद्धिक विकास के साथ–साथ परिवार, विवाह नामक जैसी संस्थाओं का आवश्यकता के अनुसार श्रृजन किया गया है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार ''परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन और लाल–पालन की व्यवस्था सुनिश्चित करात है'' वही बरगैस एण्ड लॉक के अनुसार ''एक परिवार, विवाह, रक्त संबंध या गोद लेने के बंधनो से सम्बद्ध व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक गृहस्थी का निर्माण करते है जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया और अंतः संदेश करते हुए पति–पत्नी, माता–पिता, लड़के लडकी और भाई–बहन के रूप में अपने–अपने सामाजिक कार्यों को करते रहते है और एक सामान्य संस्कृति को बनाते व उसकी रक्षा करते है।

समाज वैज्ञानिकों के द्वारा परिवार की कुछ सामान्य विशेषताएं बताई है जिसमें विवाह संबंध, विवाह का एक स्वरूप, वंशनाम की एक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, एक सामान्य निवास या घर प्रमुख है।

परिवार का वर्गीकरण (Classification of Family)

एस. सी. दुबे के अनुसार ''परिवारों का वर्गीकरण अधिकार, वंशनाम, उत्तराधिकार, निवास, वैवाहिक रचना और गठन, सदस्यों की संख्या आदि के आधार पर माना है। भुंजिया जनजाति में भी परिवार का वर्गीकरण अथवा परिवार प्रकार निम्नांकित प्रकार से पाये जाते है –

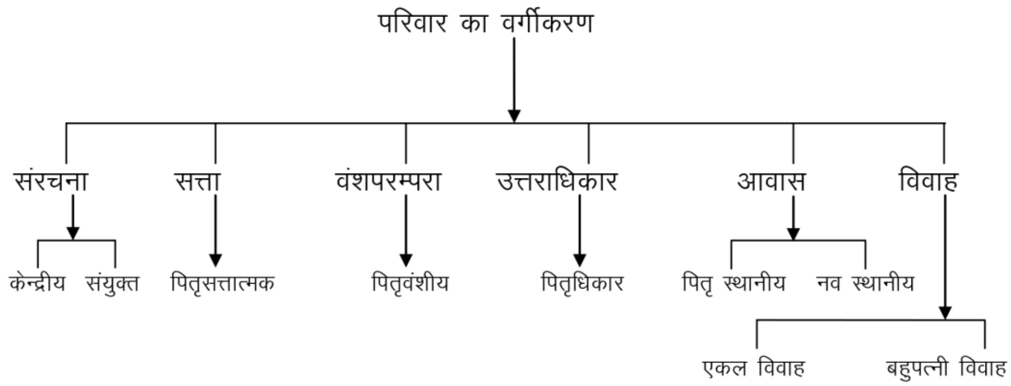

संरचना के आधार पर

भुंजिया जनजाति में परिवार अंतर्गत सदस्यों की संख्या, रक्त संबंधियों के निवास एवं विवाह संबंधी नातेदारों के निवास के आधार पर मूल अथवा केन्द्रीय परिवार (Nuclear Family), एकाधिक विवाह युगल परिवार रक्त संबंधी सदस्यों के संयुक्त परिवार (Joint family) पाये गये है। जिनका विवरण निम्नांकित है –

सर्वेक्षित भुंजिया परिवारों में परिवार प्रकार

क्र.	विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	**संयुक्त**	47	23.50
2	**केन्द्रीय**	147	73.50
3	**एकल**	6	3.00
योग		200	100.00

उपरोक्तानुसार भुंजिया जनजाति में अधिकतर 73.50 प्रतिशत परिवार केन्द्रीय प्रवृत्ति के एवं लगभग एक चौथाई भुंजिया परिवार (23.50 प्रतिशत) संयुक्त प्रकृति के पाये गये।

अधिकार या सत्ता के आधार पर

प्रत्येक समाज में पारिवारिक अधिकारों या सत्ता के आधार पर परिवार संचालन के नियम पृथक–पृथक पाये जाते है। सामान्यतः जिन परिवारों की धूरी पिता की होती है। अर्थात परिवार

से संबंधित समस्त सत्ता या निर्णय के आधार पिता में निहित होते है। ऐसे परिवार पितृ सत्तात्मक व्यवस्था वाले कहलाते है।

इसके विपरित कुछ जनजातीय समाज जैसे – खासी, गारो, नायर आदि में मातृसत्तात्मक परिवार पाये जाते है। भुंजिया जनजाति में सामान्यतः अन्य हिन्दु परिवारों की भांति पैतृक या पितृसत्तात्मक परिवार (Patriarchal Family) ही पाये जाते है जिनमें पारिवारिक सत्ता की धूरी पिता के आधार पर निर्धारित होती है।

वंश परम्परा के आधार पर

जनजातीय समाजिक जीवन और संगठन का एक महत्वपूर्ण आधार वंश समूह होता है। हॉबल के अनुसार ''वंश समूह साधारणतः 5 या 6 पीढ़ियों से अधिक पहले का एक परिचित संस्थापक या सामान्य पूर्वज के उत्तराधिकारियों का एक विस्तृत और एक पक्षीय रक्त संबंधित समूह है। इस आधार पर वंश समूह मातृवंश समूह (Matrilineal Lineage) और पितृवंशीय वंश समूह (Patrilineal Lineage) होते है। भुंजिया जनजाति में वंश समूह राज्य की अन्य जनजातियों की भांति पितृवंशीय है। जिसके अंतर्गत भुंजिया पुरूष उनके भाई और उनकी संताने होती है। इसमें बहन या उनके बच्चे या विवाह पश्चात स्वयं की पुत्री वंश के बाहर चली जाती है।

उत्तराधिकार के आधार पर (Baseis of Inheritance)

उत्तराधिकार से तात्पर्य किसी समुदाय विशेष में उनके सामाजिक पारिवारिक पद, उपाधियों तथा संपत्ति हस्तांतरण से है। जिसके आधार पर कोई समाज पितृमार्गीय अथवा मातृमार्गीय होता है। राज्य की भुंजिया जनजाति में सामाजिक पद, प्रतिष्ठा, बौद्धिक संपदा एवं सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार पिता का होता है तथा पिता की मृत्यु पश्चात उनका हस्तांतरण पिता से पुत्रों की ओर होता है। उदाहरणार्थ भुंजिया जनजाति में ग्राम पटेल एवं ग्राम स्तरीय जाति पंचायत के कुछ प्रमुख पदों

का पद भी वंशानुगत पाया जाता है। उसी प्रकार पिता द्वारा अर्जित चल अथवा अचल संपत्ति का हस्तांतरण भी वंशानुगत रूप से पुत्रों की ओर होता है।

आवास स्थान के आधार पर (Basis of Residance)

प्रायः जनजातियों एवं अन्य समुदायों में उनके निवास अथवा आवास के आधार पर परिवारों के दो स्वरूप **पितृस्थानीय परिवार (Patrylocal Residence), मातृस्थानीय परिवार (Matrylocal Residence)** एवं **नव स्थानीय परिवार (Neolocal Residence)** दिखलाई देते है। छत्तीसगढ़ राज्य की भुंजिया जनजाति में भारतीय हिन्दु परिवार तथा राज्य की अन्य जनजातियों की भांति साधारणतः पितृस्थानीय परिवार पाये जाते है। जिसमें विवाह के पश्चात पति अपनी पत्नी को उसके परिवार से लाकर अपने पिता के परिवार में रखता है।

वर्तमान परिदृश्य में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य पारिवारिक परिस्थितियों के कारण भुंजिया जनजाति में विवाह के पश्चात पति–पत्नी अपना एक अलग परिवार बसा लेते है। ऐसे परिवारों को मानवशास्त्रीय भाषा में **नव स्थानीय परिवार** कहा जाता है।

विवाह संबंध के आधार (Basis of Marrige Relation)

जनजातीय समाजों के परिवारों में विवाह के मुख्य रूप से दो भेद होते है। जो निम्नांकित है –

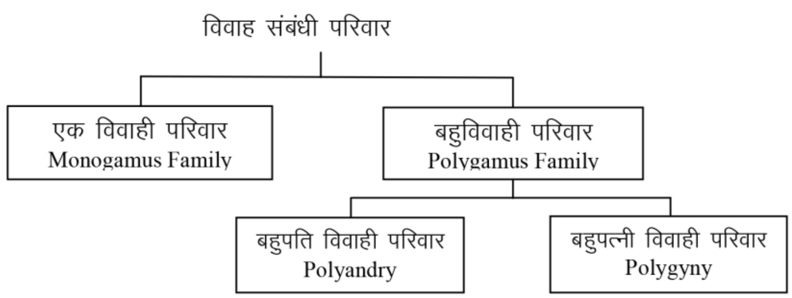

उपरोक्त आधार पर भुंजिया जनजाति में अधिकांश परिवार एक विवाही प्रकार है अर्थात् एक पुरूष अथवा एक महिला द्वारा एक ही महिला या पुरूष से विवाह कर परिवार का निर्माण किया जाता है तथा इनसे उत्पन्न संतानों का लालन पालन दोनों दम्पत्तियों के संरक्षण में होता है।

बहुविवाही परिवार के अर्न्तगत ऐसे विवाह संबंध आते है जिसमें एक पुरूष या स्त्री एक से अधिक स्त्रियों या पुरूषों के साथ विवाह करता है। किन्तु भुंजिया जनजाति में बहुविवाही

परिवार अन्तर्गत केवल बहुपत्नी विवाही परिवार ही अल्प संख्या में दिखलाई पड़ते है। सामान्यतः जनजातीय समुदायों में विवाह के संबंध में वधुमूल्य प्रथा (Bright Price) का प्रचलन होने के कारण एक व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने व प्रथम पत्नी की मृत्यु अथवा संतान न होने की स्थिति में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। इस प्रकार के विवाह में प्रथम पत्नी के जो अधिकार है वे सुरक्षित रहते है। साथ ही दूसरी पत्नी को भी परिवार एवं समाज में उसी प्रकार मान–सम्मान प्राप्त होता है।

5.5 सामाजिक स्तरीकरण

प्रत्येक समाज में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था पायी जाती है। समाज विशेष के विभिन्न उपजातियों एवं गोत्र समूहों में स्वजातीय सामाजिक स्तरीकरण के साथ–साथ अन्य जातियों के साथ भी अन्तर्जातीय सामाजिक स्तरीकरण में उच्च एवं निम्न की अवधारणाएं पायी जाती है। जो निम्नांकित है –

स्वजातीय सामाजिक स्तरीकरण

राज्य की भुंजिया जनजाति स्वयं में दो उपजातियों यथा **चौखुटिया भुंजिया, चिंदा भुंजिया एवं खल्लारिया भुंजिया** में विभक्त है। उक्त उपजातियों में भी केवल चौखुटिया भुंजिया द्वारा लाल बंगला का निर्माण किया जाता है तथा इनमें स्वच्छता का विशेष महत्व होता है। जिस कारण से चौखुटिया भुंजिया परिवार स्वयं को अन्य दो उपजातियों से उच्च मानती है।

इसी प्रकार भुंजिया जनजाति में पाये जाने वाले गोत्रों मे भी एक सामाजिक स्तरीकरण दिखलाई पड़ता है। जैसे – भुंजिया जनजाति के नेताम वंश अन्तर्गत नेताम गोत्र समूह के 07 उपभागों/उपगोत्र **पुजारी (चौखुटिया भुंजिया समाज का राजा), पाती (मंत्री), आमारूखिया (नियमों का पालन कराना एवं देवताओं के रूष्ठ होने पर उसे मनाने का कार्य), केन्दुबहरिया (पहलवान), देवझाखर (सिरहा/रोग निवारण का कार्य), डुमरबहरिया (घरेलु कार्य एवं मंत्री का सहयोगी) एवं सुवार (खाना बनाना एवं साफ–सफाई का कार्य)** जैसे कार्यों की प्रकृति के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण जाति के अंदर दिखलाई देता है। इसी प्रकार भुंजिया जनजाति के अन्तर्गत मरकाम वंश समूह अन्तर्गत नाईक गोत्र का स्थान उच्च एवं **पोटियाहा गोत्र** का स्थान सबसे निम्न माना जाता है।

अर्न्तजातीय सामाजिक स्तरीकरण

भुंजिया जनजाति व्यवहारिक रूप से अधिक स्वच्छ रहती है। इसका एक कारण इनमें प्रचलित लाल बंगला है। जिसके कारण इस समाज मे इनके स्वजातीय उजातियों एवं गोत्रों में भी स्तरीकरण दिखाई देता है। यही कारक इन्हें अर्न्तजातीय सामाजिक स्तरीकरण में भी अन्य जनजातियो समुदायों से अलग करता है। अतःएव भुंजिया जनजाति क्षेत्र की अन्य जनजातीय समुदायों से स्वयं को उच्च मानती है।

सामाजिक स्तरीकरण के क्रम में भुंजिया जनजाति में पूर्व में ग्राम मे निवासरत द्वारा रावत को भी **'छुआ'** मानते थे और उनके हाथ का भोजन ग्रहण नही करते थे क्षेत्र में निवासरत अन्य जातियों के हाथ का न तो से पानी पीते थे, और नही खाना खाते थे, ग्राम में निवासरत अस्पृश्य जाति जैसे सतनामी, घसिया, मेहत्तर, गाडा से पृथक घाट में स्थान करते थे।

भुंजिया जनजाति समुदाय वर्तमान में भी अपने विभिन्न जीवन संस्कारों जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु में नाई, धोबी, रावत व ब्राम्हण की सेवाएं नही लेते है वरन् संस्कारों के सभी कर्मकाण्ड स्वजातीय सामाजिक व्यवस्था अन्तर्गत सदस्यों के माध्यम से पूर्ण किये जाते है।

5.6 मित–मितान या सहिया संबंध

वर्तमान परिवेश में जनजातीय ग्रामो मे भी ग्राम में निवासरत अन्य जातियों से निकटता व पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने अर्न्तजातीय संबंधों के उदाहरण स्वरूप भुंजिया जनजाति में भी मित–मितान या सहिया संबंध पाये जाते है। भुंजिया समुदाय में सहिया संबंध के मापदण्ड समय–समय पर आवश्यकता अनुरूप परिवर्तित किये जाते रहे है। कुछ समय पूर्व तक ऐसे व्यक्ति पुरूष हो या महिला जिनके नामो में समानता होती थी, ग्रामदेव या देवगुड़ी के सम्मुख पान–सुपाड़ी, धूप अर्पितकर नारियल की अदला–बदली कर सहिया संबंध स्थापित करते थें। सहिया संबंध में समकक्ष जातियों का ध्यान रखा जाता था। ऐसे संबंध के साथी एक–दूसरे के सुख–दुख में पारिवारिक स्तर पर अपना योगदान देते है।

सहिया संबंध आपस मे बंधुवत व्यवहार करते है तथा शादी–विवाह, मृत्यु आदि कार्यक्रमों में अपनी सम्पूर्ण भागीदारी निभाते है। भुंजिया जनजाति में सहिया संबंधों की प्रचलित नियमावली निम्नांकित है –

क्र.	सहिया का आधार	'अ' व्यक्ति	'ब' व्यक्ति	सहिया संबंध
1.	संतान	1 पुत्र 2 पुत्र 2 पुत्री, 1 पुत्र 2 पुत्री 1 पुत्री, 2 पुत्र	1 पुत्र 1 पुत्री 2 पुत्री, 1 पुत्र 1 पुत्र 2 पुत्री, 1 पुत्र	हो सकता है नही हो सकता है हो सकता है नही हो सकता है नही हो सकता है
2.	नाम	समनाम	समनाम	हो सकता है

निषेध (Taboo)

जनजातीय समाजिक जीवन का एक रोचक पक्ष उनकी सामाजिक संरचना मे कुछ निषेध या वर्जित कार्य होते है। सामाजिक व्यवस्था में निषेधों के माध्यम से समाज के सदस्यों को कुछ कार्य या व्यवहारों को न करने के निर्देश दिये जाते है। जनजातीय समाजों में निषेध की महत्ता को सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में देखा जा सकता है।

भुंजिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था में भी विभिन्न प्रकार के निषेध देखने को मिलते है। जो निम्नांकित है –

नातेदारी व्यवस्था में निषेध (Kinship Taboos)

भुंजिया जनजाति के समाजिक संगठन की नातेदारी व्यवस्था में निषेध रक्त संबंधी अथवा विवाह संबंधों के **परिहार (Avoidance)** के रूप में दिखाई देते है। अर्थात कुछ ऐसे संबंध होते है जो दो व्यक्तियों के बीच में एक निश्चित संबंध तो स्थापित करते है। किन्तु एक दूसरे से परस्पर दूर रहकर उन संबंधों का निर्वहन करते है। जैसे – भुंजिया जनजाति में बहू तथा ससूर, दामाद तथा सास आदि के संबंध परिहार के अन्तर्गत आते है। जो एक निषेध के रूप में भी प्रचलित है।

विवाह संबंधी निषेध (Marrige Related Taboos)

भुंजिया जनजाति में विवाह के माध्यम से अनेक विवाह संबंधी नातेदारी का निर्माण होता है। जिसमें ऐसे अनेक नातेदार होते है, जिनमें आपस में विवाह संबंध स्थापित करने की सामाजिक रूप से मनाही होती है। जिसे **निकटाभिगमन संबंधी निषेध (Incest taboos)** के रूप में जाना जाता है।

बर्हीविवाह संबंधी निषेध (Exogamy Taboos)

भुंजिया जनजाति में विवाह के संदर्भ में गोत्र संबंधी निषेध भी प्रचलित है। भुंजिया जनजाति बर्हीविवाही (Exogamus) गोत्र समूह वाला समुदाय है। जिसमें समगोत्री विवाह अधिमान्य विवाह नही माने जाते है। अर्थात नेताम वंश समूह के गोत्र का भुंजिया व्यक्ति नेताम वंश के अन्य उप समूह के गोत्रों के सदस्य के साथ विवाह संबंध नही कर सकते अपितु नेताम वंश के व्यक्ति मरकाम वंश समूह के गोत्र के भुंजिया सदस्य से ही विवाह संबंध स्थापित करते है।

गर्भावस्था संबंधी निषेध (Taboos Related Pregnancy)

भुंजिया जनजाति में गर्भावस्था संबंधी निषेधों का भी पालन किया जाता है जैसे – किसी गर्भवती स्त्री को नाव से नदी पार करने, सूर्य या चन्द्र ग्रहण को न देखने संबंधी मनाही होती है।

दैनिक जीवन के निषेध (Taboos Related Routine life)

भुंजिया जनजाति में विशेषकर महिलाओं को दैनिक जीवन में विभिन्न निषेधों का पालन करना पड़ता है जो उनके सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवस्थाओं को समाज अनुरूप बनाकर रखते है। इनमें स्त्रियों को हल या सीधी लकड़ी को लांघना, आवास की छत छाने की मनाही एवं भुंजिया जनजाति में प्रचलित उनके लाल बंगला की परिधि में ही भोजन ग्रहण करना, मासिक धर्म के दौरान लाल बंगला में प्रवेश न करना, विवाह पश्चात परिवार की पुत्री का लाल बंगला में प्रवेश निषेध, लाल बंगला के भीतर अन्य स्थान का पका अन्न लाना, लाल बंगला मे शयन करना, भुंजिया महिलाओं को किसी अन्य के घर में बना हुआ भोजन ग्रहण न करने करने संबंधी निषेधों का पालन करना पड़ता है।

==0==

अध्याय 05

भुंजिया जनजाति में लाल बंगला

सामान्य शब्दों मे आदिकाल से निवासरत समुदायों को आदिवासी, वनवासी, आदिमजाति आदि नामों से संबोधित व जाना जाता है। वर्तमान परिदृश्य मे ऐसे अनेक समुदाय है जिनकी अनेकों पीढ़िया समुदायों से पृथक, अलग–अलग वनों, पहाड़ों एवं तराइयों में निवासरत होने के कारण वर्तमान परिवेश के साथ ताल–मेल बिठाने की गति प्रायः कम है।

इन समुदायों का अपना जीवन सीमित क्षेत्र, सीमित आवश्यकताओं सीमित किन्तु प्रचुर वन संसाधनों पर निर्भर है। इनकी अपनी क्षेत्रीय विशिष्ट संस्कृति, रीति–रिवाज, देवी–देवता, लोककला, आदि परिपूर्ण रही है। जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखती है।

''भुंजिया'' में प्रचलित ''लाल बंगला'' की अवधारणा इन जनजातीय समुदायों को और भी अधिक विशिष्टता प्रदान करती है।

राज्य की भुंजिया जनजाति की एक विशिष्टता उनमें प्रचलित **''लाल बंगला''** है। जो कि भुंजिया जनजाति की एक उपजाति चौखुटिया भुंजिया परिवारों का रसोई घर है। लाल बंगला स्वयं में स्वच्छता और शुद्धता का प्रतीक है जो भुंजिया जनजाति को एक विशिष्ट पहचान देता है। चौखुटिया भुंजिया समुदाय के प्रत्येक परिवार में लाल बंगला या रसोई घर अलग–अलग मुख्य आवास से पृथक किन्तु समीप में बनाया जाता है। जिसे वे **रंधनी घर** या

रंधनी कुरिया या **लाल बंगला** कहते है। चौखुटिया भुंजिया समुदाय में एक परिवार जिसमें पति–पत्नी और उनकी सन्तान रहती है का अपना एक पृथक लाल बंगला या रसोई घर होता है। प्रायः विवाह उपरांत दम्पत्ति को अपना पृथक लाल बंगला का निर्माण करना अनिवार्य होता है। लाल बंगला का शाब्दिक अर्थ लाल रंग के रसोई घर से है। भुंजिया समुदाय द्वारा रसोई घर को लाल रंग से रंगने

का अर्थ **''बंग लाल''** अर्थात **लाल मा अउ लाल** से है, जो समयांतराल में **बंग लाल** से **लाल बंगला** में परिवर्तित हुआ है। यह स्थान भुंजिया जनजाति में शुचिता और पवित्रता का घोतक है।

भुंजिया जनजाति का लाल बंगला एक झोपड़ीनुमा कक्ष होता है। उसके सामने की ओर परछी प्रायः बनायी जाती है या कभी–कभी एक ही कक्ष का निर्माण लाल बंगला के रूप में किया जाता है। लाल बंगला से लगी हुई परछी में भोजन पकाने की तैयारी जैसे – सब्जी काटना, चांवल साफ करना, पानी रखना आदि की जाती है। कुछ विशेष सामग्रियां जैसे पानी रखने बर्तन, के साथ–साथ अनाज कुटने के लिए ढेंकी, अनाज पिसने पत्थर का जाता एवं चटनी/मसाले पिसने के लिए सील–लोढ़हा (सील बट्टा) रखा जाता है, ताकि यह अन्य लोगों के सम्पर्क से दूर रहे।

लाल बंगला के द्वारा पर ही एक हाण्डी में पानी भरकर रखा जाता है। परिवार के जो भी सदस्य लाल बंगला में प्रवेश करते है, वे सर्वप्रथम हाण्डी के पानी से हाथ–पैर धोना अनिवार्य मानते है। जिसे **द्वार हाण्डी** कहा जाता है।

भुंजिया जनजाति के लाल बंगला की एक विशिष्टता यह भी है कि, अधिकांश लाल बंगला के साथ या पास ही एक फलदार वृक्ष देखने को मिलता है।

लाल बंगला की उत्पत्ति

चौखुटिया भुंजिया समुदाय में इनके लाल बंगला की उत्पत्ति संबंधी अवधारणा या किवदंतियां प्रचलित है। अवधारणा अनुसार त्रेतायुग में जब रावण द्वारा सीता माता के हरण पश्चात् जब श्रीराम और लक्ष्मण उनकी खोज करते हुए भुंजिया जनजाति निवासरत ग्राम में पहुंचे जहां भुंजिया लोगों द्वारा उन्हें भोजन कराया गया और भुंजिया पुरूष सदस्यों द्वारा सीता माता की खोज में जाने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की गई, तब उनके मन में राम–लक्ष्मण द्वारा सीताहरण की बताई गई घटना का भय आया कि उनके जाने के बाद घर में केवल महिलाएं ही रूकेंगी और जिस तरह जब रामजी मृग के शिकार के लिए माता सीता को घर में अकेले छोड़ कर गये थे, तब रावण द्वारा छल से उनकी पत्नी का हरण कर लिया गया, कहीं हम भी अपनी पत्नियों को अकेले छोड़कर गये तो उनका भी हरण न कर लिया जाए। इस दुविधा एवं डर से भुंजिया जनजाति के लोगों द्वारा लक्ष्मणजी से सहायता मांगी गई और आग्रह किया कि, जिस प्रकार उन्होंने सीता माता की रक्षा के लिए उनके कुटिया के चारों ओर लक्ष्मणरेखा खींचकर उन्हें सुरक्षित किया था वैसे ही वे भुंजिया जनजाति की महिलाओं हेतु भी एक **सुरक्षा घेरा** बनाए। तत्पश्चात लक्ष्मणजी ने इनका आग्रह स्वीकार कर पृथक से एक अतिरिक्त कक्ष बनाने को कहा। जहां भुंजिया स्त्रियां वहा पर रह सकें। इसके बाद इस अतिरिक्त कक्ष के चारों ओर लक्ष्मणजी ने अपने तीर से तीन बार रेखा खींचकर उसे सुरक्षित किया। इस आवास को दूर से ही जान सके इस हेतु इसे लाल रंग से रंग दिया गया। जिसे लाल बंगला कहा गया। इनके द्वारा माना जाता है कि, सत्युग मे इस घेरे को यदि कोई बाहरी व्यक्ति छू भी जाता तो वह अपने आप जल जाता था। इसी परम्परा अनुरूप भुंजिया जनजाति में आज भी अनेकों लाल बंगले एक सांकेतिक रेखा या बांस के घेरे या मिटटी के चौडे चबुतरेनुमा घेरे के अंदर भी दिखाई देते है। इस घेरे का अर्थ विषम गोत्रीय और अनजान व्यक्तियों को लाल बंगला में प्रवेश से दूर रखने हेतु सुरक्षा घेरा/संकेत का कार्य करना है।

लाल बंगला निर्माण विधि

लाल बंगला के निर्माण के लिए किसी विशेष दिन की मान्यता नही है। प्रायः लाल बंगला नव दत्पत्ति के द्वारा अपने परिवार के लिए विवाह उपरांत बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त लाल बंगला क्षतिग्रस्त हो जाने, किसी विषम गोत्र या जाति के व्यक्ति के स्पर्श कर देने या कुछ अपरिहार्य घटना जैसे – परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने, सगोत्रीय सदस्य की मृत्यु हो जाने, अर्न्तजातीय विवाह होने के पश्चात् पुराने लाल बंगला को तोड़कर पुनः नये लाल बंगला का निर्माण किया जाता है। किन्तु तोड़ने के उपरांत नये रसोई घर बनाने में बाध्यता यह है कि, वह उसी स्थान पर नही बनाया जावेगा अपितु पुराने स्थान से पृथक नवीन स्थान पर बनाया जाता है।

लाल बंगला बनाने हेतु पुरूष एवं महिला दोनो का सहयोग होता है, किन्तु इसके निर्माण में किये जाने वाले कार्यों का विभाजन होता है जैसे लाल बंगला में उपयोग लकड़ी जंगल से लाने, मिट्टी बनाने (मिट्टी खोदकर उसे गीला कर मिट्टी के लोंदे बनाने का कार्य), **छानही छाना** (छत बनाना) पुरूष वर्ग का कार्य है। इसमें महिलाओं का सम्मिलित होना सामाजिक निषेध है। वहीं फर्श की लिपाई, दीवारों की पुताई, चुल्हा बनाने का कार्य महिला वर्ग द्वारा ही किया जाता है। दीवार की छबाई महिला–पुरूष मिलकर कर दोनों कर सकते है।

लाल बंगला प्रायः लकड़ी, मिट्टी और घास–फूंस से बनाया जाता है। लाल बंगला बनाने हेतु लकड़ी प्रयुक्त लकड़ी लाने घर का मुखिया (पुरूष) **उपवास** की अवस्था में जंगल जाता है और अपने साथ चांवल लेकर जाता है जंगल में जिस पेड़ की लकड़ी लानी होती है उस पर वह चांवल छिंटता

है ओर विनती कर लकड़ी काटकर लाता है। पूर्व में इसकी दीवार बनाने के लिए कर्रा लकड़ी का उपयोग ही मुख्य रूप से किया जाता था।

निर्माण प्रक्रिया में सर्वप्रथम दीवार बनाने वाले स्थान को आयताकार रेखा में एक फीट गहराई में खोद लिया जाता है। आयताकार स्थान पर 11 खम्भे (**कर्रा** लकड़ी) को उद्धर्वाधर पक्ति में गड़ा लिया जाता है। वहीं पास में मिट्टी भीगा कर रखी जाती है। इस भीगी मिट्टी में बंधन बनने हेतु एक तिहाई से आधे की मात्रा में **पेरौसी** (धान मिंजने या कुटने के बाद निकली भूसी) मिलाकर लोंदे बनाए जाते है। मिट्टी के गीले लोंदे को एक के उपर एक रख कर क्रमशः 3–4 फीट की दीवार बनाई जाती है इसके बाद इसे रात भर सुखने दिया जाता है ताकि मिट्टी गिली होने और अपने वजन से गिर या धसक न जाये। दूसरे दिन पुनः उस दीवार पर 3–4 फीट तक मिट्टी के लोंदे रखे जाते है। इस प्रकार 8–10 फीट की दीवार बनाई जाती है। इसी समय दरवाजे हेतु चौखट लगाई जाती है। ''लाल बंगला के दरवाजे की चौखट में नीचे लकड़ी नही होती है अर्थात चौखट में दाये, बाये एवं उपर की ओर लकड़ी लगी होती है। चौखट को सीधे जमीन में गाड़ दिया जाता है, चौखट में नीचे की ओर लकड़ी नही होने के पीछे भुंजिया समाज में मान्यता है कि भुंजिया स्त्री द्वारा जमीन पर क्षैतिज रखी लकड़ी को लांघना निषेध है।'' लाल बंगला की चारों ओर की दीवार में केवल एक दरवाजे के अतिरिक्त कोई खिड़की या रोशनदान का निर्माण नही किया जाता है। दीवार बनने के बाद उर्द्धवाधर खम्भों के उपर क्षैतिज रूप से दीवार की कुल लंबाई के बराबर लंबी और मोटी लकड़िया रखी जाती है जिसे **पाटी** कहते है। पाटी के उपर उनकी कुल लंबाई से 2–3 फींट ज्यादा लंबाई में बांस बिछाया जाता है, जिसे **छर्रा** कहा जाता है। पाटी और छर्रा के बीच

लंबाई में लकडियों की पंक्ति बिछाई जाती है जिसे **कांड़** कहते है। कांड़ बिछ जाने के बाद उसकी छत को **खदर घास, सुकला घास, सिंहारी** या **बोदेल वृक्ष के पत्ते** से ढ़का जाता है।

लाल बंगला का अंदरूनी निर्माण

छत बनने के बाद इनकी भीतर और बाहरी दीवारों पर गीली मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है। यह परत दो–तीन दिन मे सुख जाती है। दीवार सुखने के पश्चात इसके उपर विशेष रूप से लाई गई लाल मिट्टी को गीली कर परत चढ़ाई जाती है। जिसके सुख जाने के बाद पुनः इस पर लाल रंग की चिकनी मिट्टी या गेरू से पुताई की जाती है। लाल बंगले की फर्श को काली मिट्टी की सहायता से समतल किया जाता है। जिसके सुखने के बाद गाय के गोबर से विशिष्ट आकृति के रूप में लिपाई की जाती है। इस प्रकार लाल बंगले हेतु घर मूल ढांचा निर्मित हो जाता है।

परछी से होकर लाल बंगला का मुख्य कक्ष होता है। लाल बंगला के एक कोने पर परिवार की भुंजिया महिला द्वारा मिट्टी निर्मित **दो मुंहा चुल्हा** लगाया जाता है। इसी से लगा हुआ मिट्टी से लगभग एक फीट की ऊंचाई तथा 2 से 3 फीट लंबाई व 1 फीट की चौड़ाई का आट बनाया जाता है। इस आट में भोजन बनाने की मिट्टी या धातु के पात्र जैसे **हाण्डी, कढ़ाई, बांगा, डेचकी** आदि को रखा जाता है।

लाल बंगला के इसी कक्ष में एक दीवार पर लकड़ी या बांस निर्मित **पटिया** क्षैतिज रूप से एक के उपर एक निश्चित अंतराल में लगाया जाता है। जिसमें रसोई उपयोगी सामाग्री जैसे हल्दी, मिर्च, नमक, तेल, मसाले आदि के पात्र या डिब्बे रखे जाते है। इन सामग्रियों को कभी परछी के बाहर नही

निकाला जाता है। लाल बंगला के मुख्य स्थान में परिवार की महिला सदस्य द्वारा भोजन ग्रहण करना वर्जित है वे मुख्य रसोई के बाहर की परछी में ही भोजन करती है। पुरूष वर्ग मुख्य रसोई घर या लाल बंगला में भोजन ग्रहण कर सकते है।

नव निर्मित लाल बंगला में प्रवेश संस्कार

नव निर्मित लाल बंगला के प्रवेश के संबंध में दो प्रकार की अवधारणाएं एवं संस्कार प्रचलित है। प्रथमतः जब परिवार में प्रथम बार लाल बंगला निर्मित किया जाता है जिसमें ईष्ट देव, पूर्वज देव या डूमा पितर को धूप, नारियल, गुलाल से पूजा कर लाल बंगला का उपयोग किया जाता है।

वहीं दूसरी ओर जब प्रथमतया परिवार में नयी बहू का आगमन होता है तब चूंकि वह बहू अपने पिता के घर का या अपने पिता के गोत्र का लाल बंगला त्यागकर पति के घर में आती है तब उसे पारिवारिक दायित्वों जैसे परिवार के लिए भोजन बनाना प्रारंभ करना पड़ता है तब पति के घर के लाल बंगला में उसके प्रवेश संबंधी सदस्यता दिलाये जाने हेतु परिवार की महिला सदस्य द्वारा हल्दी पानी छिड़ककर **द्वार हाण्डी** के पानी से उसका शुद्धिकरण कर लाल बंगला में प्रवेश कराया जाता है। उस दिन विवाह पश्चात प्रथम बार नयी बहू के द्वारा परिवार के लिए भोजन बनाने का कार्य किया जाता है।

कन्या के प्रथम रजोस्त्राव में लाल बंगला में प्रवेश का संस्कार

भुंजिया जनजाति में किसी परिवार के पति–पत्नी एवं उनके बच्चे लाल बंगला या रसोई घर में यथा समय शुद्धिकरण पश्चात प्रवेश कर सकते है किन्तु परिवार की पुत्री के प्रथम बार रजस्वला होने पर इंटोला नामक संस्कार किया जाता है। जो कि रजस्वला होने के 7वें दिन सम्पन्न किया जाता है। इस अवधि तक परिवार की उस पुत्री का लाल बंगला में प्रवेश निषिद्ध होता है।

इंटोला संस्कार में 7वें दिन रजस्वला कन्या के साथ उसकी माता या समगोत्री महिला स्नान के लिए तालाब या नदी जाती है।

कन्या अपने साथ माटी की **टुहनी** (छोटी हाण्डी) लेकर जाती है। तालाब के किनारे आग जलाई जाती है और उस हांड़ी में पानी गर्म किया जाता है। गर्म पानी में गोबर की राख डाली जाती है। तत्पश्चात उस हांड़ी में कन्या के कपड़े डाल दिये जाते है। कुछ देर कपड़े गर्म पानी में रखने के बाद कन्या द्वारा उन कपड़ों को साफ किया जाता है और पुनः हांड़ी में पानी गर्म कर गर्म पानी से कन्या स्नान करती है तथा उस हांड़ी को साफ कर लेती है। इसके बाद कन्या उस हांड़ी को सिर पर रख कर आग जलाए गए चुल्हे का भांवर घुमती (Anti clock wise परिक्रमा) करती है और 07 वे भांवर के बाद उसे पीछे फेंक देती है। इसे **हाण्डी पटकी** कहा जाता है। हाण्डी को पीछे फेंकन से माना जाता है कि व्याप्त अशुद्धता वही रूक जाएगी और घर वापस नही आएगी। कन्या पीछे मुड़े बिना उसी दिशा में घर आ जाती है। घर आने पर घर की महिलाओं द्वारा उसे पीसी गीली हल्दी और फल्ली या कुसुम का तेल मिलाकर एक पत्ते में दिया जाता है इसे कन्या अपने शरीर पर लगाती है। इसके बाद कन्या पानी मांगती है, तब कन्या को उसके हाथ में एक तांबे की अंगुठी पकड़ने दी जाती है। घर की/सगोत्री महिला **रंधनी कुरिया** (लाल बंगला) के सामने रखे द्वार हांड़ी से एक पत्ते के दोना में पानी लेकर आती है और कन्या के हथेली में दे देती है। कन्या उस पानी को पी कर दोना को रंधनी कुरिया की **छान्ही** में फेंक देती है। इसके बाद कन्या हाथ–पैर धोती है। इस समय से उसे शुद्ध माना जाता है।

घर की बुजुर्ग महिला/सियानिन पृथक से भात बनाती है और खोदकर लाए गए **छिंद कांदा** को सियानिन और 09 बच्चे आपस मे बांटकर खाते है।

विवाह संस्कार से पुत्री की लाल बंगला में सदस्यता पर प्रभाव

किसी चौखुटिया भुंजिया परिवार में पुत्री का विवाह कार्यक्रम होने पर उस पुत्री का अपने पिता के घर के लाल बंगला में उसका अधिकार क्षेत्र समाप्त होने का समय माना जाता है। विवाह हेतु मडवा बनाते समय जिस पुत्री का विवाह हो रहा है वह लाल बंगला में ही रहती है। मडवा बनने के बाद पुत्री के भाई द्वारा उसका हाथ पकड़कर लाल बंगला से बाहर लेकर मडवा (मण्डप) में लाया जाता है। यह समय हास परिहास का होता है इस लिए घर की महिलाएं पुत्री से हास परिहास करती है और कहती है कि आज के बाद से इस घर पर और लाल बंगला पर तेरा अधिकार समाप्त हुआ है और पुत्री की मां या अन्य बुजुर्ग महिलाएं **''आज ले तोर इंहा के रंधनी छुट**

गे"। भुंजिया जनजाति में इस प्रकार से पुत्री जब एक बार अपने पिता के लाल बंगला से बाहर आ जाती है, तब इस दिन के बाद से वह उस लाल बंगला की सदस्य नही रह जाती और दोबारा पुनः जब विवाह पश्चात कभी भी अपने पिता के घर मेहमान के रूप में आती है तो उसका दूसरी गोत्र का सदस्य हो जाने के नाते अपने पिता के लाल बंगला में न तो प्रवेश कर पाती है और न ही लाल बंगले की परिधि को स्पर्श कर पाती है। पुत्री विवाह पश्चात अपने पिता के घर आने पर वहां लाल बंगला में बना भोजन उसे नही दिया जाता है। अपितु उसकी पसंद का भोजन लाल बंगला के बाहर पृथक चुल्हे में बना कर उसकी आवभगत की जाती है।

नवाखाई त्यौहार में लाल बंगला

सामान्यतः सभी जनजातियों में नयी फसल को अपने ईष्ट देव को अर्पित करने एवं उसके उपभोग के पहले **नवाखाई त्यौहार** महत्वपूर्ण माना जाता है। जिसकी तिथि पृथक–पृथक जनजातियों अथवा जनजाति परिवारों में अलग–अलग होती है। भुंजिया जनजाति में भी प्रत्येक वर्ष नई फसल आने पर **नवाखाई** त्यौहार प्रायः सभी परिवारों में भाद्र माह के एकम या तीज के दिन नवाखाई त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन लाल बंगला में पूर्वज व पितर देवों की पूजा कर परिवार की अविवाहित व छोटे बच्चों के द्वारा लाल बंगला की बाहरी दिवारों पर नई फसल के चांवल के आटे के घोल से हाथों की छाप लगाई जाती है, जिसे **हाथा देना** कहा जाता है। इसे एक प्रकार से लाल बंगला की शुद्धि करना भी माना जाता है और साथ ही अन्य गोत्रीय या समाजिक सदस्यों को लाल बंगला की दीवार मे छापे से यह संकेत मिल जाता है कि इस परिवार में **नवाखाई** की जा चुकी है।

लाल बंगला में स्पर्श का प्रभाव

भुंजिया जनजाति की उपजाति **चौखुटिया भुंजिया** में लाल बंगला जितनी विशिष्टता लिए हुए है, उतनी ही उसकी सीमाएं भी है। इनमें लाल बंगला को शुद्धता का प्रतीक मानते हुए अन्य लोगों की पहुंच या स्पर्श से पृथक रखा जाता है। इसलिए लाल बंगले के चारों ओर बांस या मिट्टी की दीवारनुमा घेरा भी देखने को मिलता है। एक ही गोत्र के सदस्य एक ओर जहां लाल बंगला को स्पर्श या प्रवेश कर सकते है। वहीं स्वजातीय दूसरे गोत्र के सदस्य के लिए लाल बंगला को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है।

गैर भुंजिया समुदाय के सदस्यों को परिवार के सदस्यों द्वारा लाल बंगला को स्पर्श न करने अथवा उसके पास जाने की मनाही होती है। भूलवश यदि विषम गोत्रीय या अन्य अन्य समुदाय के व्यक्तियों द्वारा स्पर्श कर लिये जाने अथवा परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उस लाल बंगले को अशुद्ध या अपवित्र हो जाना मानकर पूर्ण रूप से तोड़कर दूसरे स्थान पर पुनः नया लाल बंगला का निर्माण किया जाता है।

चौखुटिया भुंजिया जनजाति सगोत्रीय सदस्यों की मृत्यु हो जाने पर लाल बंगला का पुनः निर्माण न कर लाल बंगला के बाहर रखी गर्यी द्वार हाण्डी को फेंककर तोड़ दिया जाता है। जिसे **हाण्डी पटकना** या **हाण्डी बाहिर** करना कहा जाता है। इसके स्थान पुनः एक नई हाण्डी में पानी भरकर रखा जाता है।

लाल बंगला से संबंधित निषेध

1. लाल बंगला के निर्माण हेतु लकड़ी लाने जंगल खाली पेट (उपवास की अवस्था में) ही जाना होता है।
2. लाल बंगला के फर्श की लिपाई केवल गाय के गोबर से की जाती है।
3. लाल बंगला की छबाई हेतु मिट्‌टी बनाने का कार्य केवल पुरूष वर्ग द्वारा किया जाता है।
4. छबाई का कार्य केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है।
5. **''छान्ही छाने''** (छत बनाने) का कार्य पुरूष वर्ग द्वारा ही किया जाता है, महिलाओं का छान्ही में चड़ना वर्जित है।
6. लाल बंगला के भीतर अन्य स्थान का पका अन्न लाना वर्जित है।
7. लाल बंगला में केवल भोजन संबधी सामग्री रखी जाती है, वहां सोना वर्जित है।
8. लाल बंगला में पका भोजन उसकी परिधि में ही खाया जाता है तब बचा भोजन वापस भीतर रखा जा सकता है किन्तु यदि पका भोजन उसकी परिधि के बाहर जाकर खाया जाता है तब शेष बचा भोजन वापस लाल बंगला के भीतर नही ले जाया जा सकता है।
9. भुंजिया जाति में लाले बंगला के मुख्य कक्ष में महिलाओं का भोजन करना वर्जित है वे लाल बंगला के **''परछी''** में ही भोजन करती है, पुरूष कभी–कभी मुख्य कक्ष में भोजन कर सकते है।
10. लाल बंगला मे पका भोजन कोई भी सगे संबंधी ग्रहण नही कर सकते, यहां पका भोजन केवल परिवार के सदस्यों हेतु होता है।
11. परिवार की पुत्री भी विवाह उपरांत लाल बंगला में प्रवेश नही कर सकती और न ही वहां का भोजन ग्रहण कर सकती है।
12. प्रसुता स्त्री द्वारा प्रसव के $2^{1/2}$ माह तक एवं रजस्वला स्त्री द्वारा रजोकाल में लाल बंगला में प्रवेश नही किया जाता है। इस समय परिवार की कोई अन्य महिला, अविवाहित पुत्री या पुरूष सदस्य द्वारा लाल बंगला मे खाना बनाया जाता है।
13. लाल बंगला की रसोई में कोई भी मांस भुंजा नही जा सकता है वरन् मांस भुंजने का कार्य लाल बंगला की परिधि में ही किया जाता है तत्श्चात उसे लाल बंगला के परछी में रखे चुल्हे मे पकाया जाता है।

==0==

अध्याय 07

जीवन संस्कार

जन्म संस्कार –

भुंजिया जनजाति में कन्या के विवाह उपरांत 1–2 माह **नाहवन छुटने** (मासिक धर्म (माहवारी) नही आने) पर उसे गर्भवती होना माना जाता है। माहवारी नही आने तथा चेहरे का रंग हल्का पीला होना गर्भधारण की पुष्टि करता है। बुजुर्ग/अनुभवी सदस्यों द्वारा गर्भवती महिला की नाड़ी देखकर भी गर्भधारण की पुष्टि की जाती है। पहले गर्भधारण से प्रसव तक गर्भवती स्त्री को भारी काम नही करने दिया जाता है। गर्भवती स्त्री प्रसव तक घर के सामान्य कार्य कर सकती है। प्रायः गर्भधारण के बाद गर्भवती स्त्री को दूसरे गांव जाने नही दिया जाता है। यदि जाना आवश्यक हो तो उसे नाला/नदी पार करना निषेध होता है। पेड़ पर चढ़ना और जंगल जाना भी गर्भावस्था में निषेध होता है। गर्भावस्था एवं प्रसव कार्य की स्वस्थता हेतु कोई विशेष कर्मकाण्ड नही किये जाते है। विवाहिता की प्रथम जचकी (जचकी) प्रायः ससुराल में ही होती है। गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री को चिड़चिडेपन की बात करने से रोका जााता है और संभवतः गर्भवती स्त्री की हर **''याचना''** (खाने–पीने की इच्छा) की पूर्ति की जाती है। इसे गर्भस्थ शिशु की इच्छा मानी जाती है।

भुंजिया जनजाति में एक अवधारणा है कि एक बार एक भुंजिया महिला के गर्भावस्था के समय उसे काले रंग की गाय का मांस खाने की इच्छा हुई तो वह किसी अस्पृश्य जाति के यहा से गाय का मांस खाकर आ गई। इस बात की जानकारी जब उसके पति को हुई तो आवेश में आकर उसने अपनी पत्नि की हत्या कर दी किन्तु गर्भस्थ शिशु जन्म ले लेता है और जन्म लेने के उपरांत वह भी गाय के मांस की मांग करने लगा और मांस मिलने पर ही शांत हुआ। इस कारण गर्भवती स्त्री की इच्छा पूर्ति की जाती है।

भुंजिया जनजाति मे गर्भवती स्त्री को सूर्यग्रहण या चन्द्रग्रहण को निःसंकोच देखना चाहिए माना जाता है। यदि ग्रहण को संकोचवश देखा जाता है तो कुछ अप्रिय घटना होना माना जाता है।

गर्भकाल पूर्ण होने (9–10 माह) पर गर्भाशय के पानी स्त्राव होने को **पनिया हड़िया** छुटना कहते है। पूर्व में जचकी (प्रसव) कराने का कार्य समाज की ''सियान'' बुजुर्ग महिला द्वारा कराया जाता था प्रसव कराने वाली महिला को दाई कहते है। शिशु जन्म उपरांत नाल काटने का कार्य दाई द्वारा किया जाता था। नाल काटने हेतु प्रायः **छुरी** या **बांस** की कमचील का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में प्रसव प्रशिक्षित दाई अथवा चिकित्सालय में कराया जाता है तथा नाल काटने हेतु नए ब्लेड का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः 06–07 दिनों में नाल सुख कर झड़ जाता है।

शिशु जन्म के बाद से नाल सुखाने के लिए गोबर छेना की राख नाल पर लगाई जाती है और शिशु मालिश गर्म तेल (सरसो के तेल) से की जाती है। प्रसुता को प्रसव के 5–6 घण्टे बाद (हिरवापानी) कुल्थी को 3 भाग पानी में 1 भाग होने तक पकाया जाता है और उस 1 भाग पानी को पीने दिया जाता है। जिसे **''कसापानी''** कहा जाता है। कसापानी प्रसव के दिन से 7–8 दिन तक थोड़ी–थोड़ी देर में दिया जाता है। इसे प्रसुता को ताकत और प्रसव में हुए रक्त हानि को पूर्ण करने के उद्देश्य से दिया जाता है।

प्रसव के अगले दिन से प्रसुता को **भात, पसिया और चटनी** (टमाटर) भोजन के रूप में दी जाती है। प्रसुता को छट्ठी/बरही तक मांस और खट्टा पदार्थ भोजन में नही दिया जाता है। भुंजिया जनजाति में शिशु को जन्म उपरांत साफ–सफाई कर माता का प्रथम दूध दे दिया जाता है। शिशु जन्म के 07 दिन (छट्ठी के दिन) तक पुरूष समूह नवजात को नही छूते है। 07 वें दिन छट्ठी का कार्यक्रम किया जाता है।

छट्ठी

छट्ठी के दिन प्रसुता महिला की शुद्धि की जाती है जिसे **इंटोला** करना कहते है। इस दिन प्रसुता स्त्री के साथ उसकी माता या सगोत्री महिला स्थान के लिए नदी या तालाब जाती है। प्रसुता अपने साथ माटी की टुहनी (छोटी हाण्डी) लेकर जाती है। तालाब के किनारे आग जलाई

जाती है और उस हांड़ी में पानी गर्म किया जाता है। गर्म पानी में गोबर की राख डाली जाती है। तत्पश्चात उस हांड़ी में प्रसुता के कपड़े डाल दिये जाते है। कुछ देर कपड़े गर्म पानी में रखने के बाद प्रसुता द्वारा उन कपड़ों को साफ किया जाता है और पुनः हांड़ी में पानी गर्म कर गर्म पानी से प्रसुता स्नान करती है तथा उस हांड़ी को साफ कर लेती है। इसके बाद प्रसुता उस हांड़ी को सिर पर रख कर आग जलाए गए चुल्हे का **भांवर घुमती (Anti clock wise परिक्रमा)** करती है और 07 वे भांवर के बाद उसे पीछे फेंक देती है। इसे **हाण्डी पटकी** कहा जाता है। हाण्डी को पीछे फेंकन से माना जाता है कि व्याप्त अशुद्धता वही रूक जाएगी और घर वापस नही आएगी। प्रसुता पीछे मुड़े बीना उसी दिशा में घर आ जाती है। घर आने पर घर की महिलाओं द्वारा उसे पीसी गीली हल्दी और फल्ली या कुसुम का तेल मिलाकर एक पत्ते में दिया जाता है इसे प्रसुता अपने शरीर पर लगाती है। इसके बाद प्रसुता पानी मांगती है, तब प्रसुता को उसके हाथ में एक तांबे की अंगुठी पकड़ने दी जाती है। घर की/सगोत्री महिला **रंधनी कुरिया** (लाल बंगला) के सामने रखे द्वार हांड़ी से एक पत्ते के दोना में पानी लेकर आती है और प्रसुता के हथेली में दे देती है। महिला उस पानी को पी कर दोना को **रंधनी कुरिया** की छान्ही में फेंक देती है। इसके बाद प्रसुता हाथ–पैर धोती है। इस समय से उसे शुद्ध माना जाता है।

घर की बुजुर्ग महिला/सियानिन पृथक से भात बनाती है और खोदकर लाए गए छिंद कांदा को सियानिन और 09 बच्चे आपस मे बांटकर खाते है।

इसी दिन नवजात शिशु का मुण्डन किया जाता है। मुण्डन का कार्य पिता या दादा या परिवार के सगोत्रीय सदस्य के द्वारा किया जाता है। यदि पिता मुण्डन करना नही जानता हो तो शिशु के दादा या परिवार के सगोत्री सदस्य द्वार शिशु का मुण्डन किया जाता है। इसके बाद घर के बाकी सदस्य भोजन करते है।

शिशु बालक हो तो शिशु का पिता संध्या के समय यदिएक हाथ में धनुष बाण तथा एक हाथ में छेना आगी (गोबर छेना को जलाकर) लेकर गांव के एक चौराहे में जाता है चौराहे में आग को रखकर उसमें नमक डालकर छोड़ आता है। **शिशु कन्या हो तो भी यह क्रिया की जाती है।** किन्तु शिशु का पिता इसमें अपने साथ धनुष बाण लेकर नही जाता है। **इसी दिन शिशु को काला धागा कमर में बांधा जाता है जिसे चामबंदी कहते है।** यह चाम पुरूष के कमर से उसकी मृत्यु उपरांत ही निकाला जाता है।

नामकरण

इसी दिन शिशु का नामकरण भी किया जाता है। पूर्व में शिशु के दादा–दादी या नाना–नानी द्वारा शिशु का नामकरण किया जाता था। शिशु के नामकरण के लिए बैगा द्वारा नाड़ी देखा जाता है, और वस्तु की मांग अधार पर उसके पूर्वजों की पहचान की जाती है तथा इसके बाद शिशु के हाव–भाव, रंग–रूप, दिन आदि देखकर उसका नामकरण किया जाता है। वर्तमान में प्रचलन के अनुसार या राशि के आधार पर भी शिशु का नामकरण उसे माता–पिता, दादा–दादी या नाना नानी द्वारा कर दिया जाता है।

बरही

शिशु जन्म के 12वें दिन **बरही कांचने** का कार्य होता है। इस दिन भी छट्ठी के दिन की भांति ''इंटोला'' का कार्य किया जाता है। इंटोला होने के बाद से प्रसुता घर के लिए पानी लाने का कार्य कर सकती है लेकिन लाल बंगला मे भोजन बनाने का कार्य $2^{1/2}$ माह तक वर्जित रहता है। शिशु जन्म के 2.5 माह बाद पुनः इंटोला किया जाता है और इसके बाद से प्रसुता पूर्णतः शुद्ध मानी जाती है और इसके बाद से ही वह लाल बंगला में प्रवेश करती है और लाल बंगला मे अपने दायित्वों का निर्वहन करती है।

विवाह संस्कार

भुंजिया जनजाति में लड़के की दाढ़ी–मूंछ आने तथा शारीरिक रूप से हृष्ट–पुष्ट हो जाने पर उसे विवाह योग्य माना जाता है तथा लड़की के शारीरिक परिवर्तन जैसे **''खिनवा''** (कान की बाली पहनने का भाग) में वृद्धि होना विवाह योग्य होना माना जाता है।

भुंजिया जनजाति में विवाह का एक प्रकार अनिवार्य है जिसे **कांड़ विवाह** कहा जाता है। कांड़ विवाह भुंजिया बालिकाओं के लिए अनिवार्य है कांड़ विवाह का शाब्दिक अर्थ **कांड़ (बाण)** से विवाह का है। भुंजिया बालिकाओं की प्रथम मासिक स्त्राव (माहवारी) आने के पूर्व कांड़ विवाह किया जाना अनिवार्य होता है। यदि कोई बालिका का कांड़ विवाह के पूर्व रजस्वला हो जाती है तो कन्या का हल्दी विवाह (सामान्य विवाह) नही होता है वरन् उसका चूड़ी विवाह किया जाता है। इससे बचने हेतु भुंजिया जनजाति में सामान्यतः 10–12 वर्ष की आयु में बालिकाओं का कांड़ विवाह कर दिया जाता है। कांड़ विवाह एक या एक से अधिक कन्याओं का एक साथ किया जाता है।

कांड़ विवाह

भुंजिया जनजाति की कन्या जब 10–12 वर्ष की हो जाती है तब कन्या का पिता उसके कांड़ विवाह के संबंध में समाज मे इसकी बैठक रखता है। समाज के लोगों के द्वारा **कांड़ विवाह** की तिथि तय की जाती है। विवाह की तिथि तय हो जाने पर रात्रि के समय महिलाएं एक स्थान पर एकत्र होती है और गाना गाती है और समाज के सभी लोग गीत के माध्यम से देवी–देवताओं का आवाहन करते है।

जोहार जोहार ठाकुर देवता ।
धर्मे दिने तुमचे नमुना ।।
दूई मातिया तुमके लागै ।।।

जोहार जोहार रामगुरू ।
धर्मे दिने तुमचे नमुना ।।
दूई मतिया तुमके लागै।।।

इस प्रकार रात्रि में महिलाओं द्वारा गीत गाकर हर्ष मनाया जाता है।

अगले दिन लड़की का जीजा जंगल से महुवा की डाल लेने जाता है। जंगल पहुंच कर सर्वप्रथम महुवा के वृक्ष पर चांवल छिंटता है ओर मंगल प्राथना करता है। तदोपरांत उस वृक्ष की डाल काटता है और घर आता है। घर पर उस डाल को छिलकर घर के आंगन में क्षैतिज गाड़ दिया जाता है और उस लकड़ी के बीच में एक **खांचा** (छिद्र) भी बनाया जाता है। इस छिद्र में महिलाएं **''खड़ी हल्दी''** डाल देती है। जिसे 02 कुंवारी कन्या कुटती है और इस समय महिलाएं गाना गाती है। पास ही दो दोना में चांवल और लाल/गुलाबी फूंदरा रहता है जिसे हल्दी कूंट रही कन्याएं हल्दी कुटने के बाद एक–एक ले जाती है। कुटी हुई हल्दी को महीन पीसकर, तेल मिलाया जाता है फिर से आम–पत्ते में लेकर देवी–देवता को लगाया जाता है।

इसके बाद कन्या को सफेद वस्त्र पहनाया जाता है। कन्या के हाथ–पैर तथा माथे में सेवारी पत्ता से मेंहदी लगाई जाती है व आंख मे काजल लगाते है और पुरा श्रृंगार किया जाता है।

कन्या की बुआ सुवासिन का कार्य करती है। अर्थात् विवाह के रस्म उसके माध्यम पूरे किये जाते है। सुवासिन कन्या का हाथ पकड़कर ग्राम में सभी के घर लेकर जाती हैं। इस समय कन्या के आगे और पीछे 07–07 कन्याएं साथ–साथ चलती है। ग्राम में सभी के घर घुमकर कन्या सबका आशीष लेती है। इसके बाद सुवासिन कन्या को लेकर घर के उस स्थान पर लाती है जहां हल्दी कुटी गई होती है। इस स्थान पर चांवल या चांवल आटे से चौक पुरते है (एक प्रकार से चांवल से रंगोली बनाई जाती है।) सुवासिन इस स्थान पर कन्या को 07 भांवर (फेरा) कराती है और कन्या को अपनी गोद में बैठाती है। इसके बाद बैगा की पत्नि या सनमत परिवार की महिला सर्वप्रथम कन्या को हल्दी लगाती है। तत्पश्चात अन्य सदस्य कन्या को हल्दी लगाते है। हल्दी लगाने के बाद दिनवारी (नाईक परिवार का सदस्य) लड़की को **मौर (बांस की पत्तियों से निर्मित मुकुट)** बांधता है।

हल्दी–मौर रस्म के बाद लगन का कार्यक्रम होता है। इसमें घर के द्वार पर एक ओर लड़की का जीजा कांड़ (बाण) लेकर खड़ा रहता है और दूसरे ओर लड़की अपने परिवार वालों के साथ एक परदे की आड़ में खड़े रहते है। लड़की और उसका जीजा अपने–अपने ओर से एक–दूसरे पर चांवल छिड़कते हैं इसके बाद लड़की का जीजा अपने साथ रखे कांड़ को लड़की को दे देता है। सुवासिन कन्या को कांड़ के साथ विषम गोत्र के स्वजातीय परिवार के घर ले जाती है और वहां से स्नान कर वापस अपने घर आ जाती है। इसके बाद लड़की के परिवार से कोई सदस्य उस कांड़ को उसके जीजा या जिसके घर से कांड़ लाया गया है उसे लौटाने उसके घर जाते है इसे वापस करते समय उस घर के सदस्य को कुछ नेंग (उपहार) दिया जाता है और कांड़ भी लौटा दिया जाता है। इस प्रकार कांड विवाह की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। कांड़ विवाह के बाद भुंजिया जनजाति में किसी कन्या का विवाह किया जाता है।

कन्या के कांड़ विवाह होने के उपरांत जब कन्या का प्रथम माहवारी/मासिक धर्म शुरू होता है तब उसे पूर्णतः विवाह योग्य होना माना जाता है। भुंजिया जनजाति में मासिक धर्म शुरू होने को **हांड़ी बहरी** होना कहा जाता है। अर्थात् मासिक धर्म का आना इनमें अपवित्रता से संबंधित होता है। मासिक धर्म के समय 07 दिनों तक रजस्वला कन्या/महिला को एक पृथक कक्ष में रखा जाता है और इसे कही अन्य स्थान पर जाने की अनुमति नही होती है। इस समयावधि मे

कन्या/महिला घर के रसोई घर (लाल बंगला) में प्रवेश, पूरखा देव की पूजा–पाठ में सम्मिलित नही होती है। इस दौरान उसे पृथक कक्ष में पृथक से खाना–पानी दिया जाता है तथा कन्या–महिला अपने कपड़े, खाने के बर्तन स्वयं साफ करती है। भुंजिया जनजाति में किसी कन्या के प्रथम मासिक धर्म प्रारंभ होने पर सर्वेप्रथम उसकी माता या बड़ी बहन द्वारा समझाया जाता है कि यह नियम आता रहेगा और हर माह इस समय पर आयेगा। तुम्हे सफाई होने तक एक घर में 07 दिन रहना होगा। माहवारी के दिनो में कन्या पृथक कक्ष में रहती है और जमीन पर ही सोती हैं। उसे वहां पृथक से चादर और कपड़े दे दिये जाते है।

माहवारी के तीसरे दिन परिवार की समगोत्री महिला द्वारा गुड़, तिल, चांवल की खीर बनाकर रजस्वला कन्या को खाने दिया जाता है। इसके बाद 07 छोटी कन्याओं को भी यह खीर दी जाती है। माहवारी के 07वें दिन **''इंटोला''** किया जाता है। इसमें रजस्वला कन्या के साथ उसकी माता या समगोत्री महिला स्नान के लिए तालाब या नदी जाती है।

कन्या अपने साथ **माटी की टुहनी** (छोटी हाण्डी) लेकर जाती है। तालाब के किनारे आग जलाई जाती है और उस हांड़ी में पानी गर्म किया जाता है। गर्म पानी में गोबर की राख डाली जाती है। तत्पश्चात उस हांड़ी में कन्या के कपड़े डाल दिये जाते है। कुछ देर कपड़े गर्म पानी में रखने के बाद कन्या द्वारा उन कपड़ों को साफ किया जाता है और पुनः हांड़ी में पानी गर्म कर गर्म पानी से कन्या स्नान करती है तथा उस हांड़ी को साफ कर लेती है। इसके बाद कन्या उस हांड़ी को सिर पर रख कर आग जलाए गए चुल्हे का भांवर घुमती (Anti clock wise परिक्रमा) करती है और 07 वे भांवर के बाद उसे पीछे फेंक देती है। इसे **हाण्डी पटकी** कहा जाता है। हाण्डी को पीछे फेंकन से माना जाता है कि व्याप्त अशुद्धता वही रूक जाएगी और घर वापस नही आएगी। कन्या पीछे मुड़े बीना उसी दिशा में घर आ जाती है। घर आने पर घर की महिलाओं द्वारा उसे पीसी गीली हल्दी और फल्ली या कुसुम का तेल मिलाकर एक पत्ते में दिया जाता है इसे कन्या अपने शरीर पर लगाती है। इसके बाद कन्या पानी मांगती है, तब कन्या को उसके हाथ में एक तांबे की अंगुठी पकड़ने दी जाती है। घर की/सगोत्री महिला रंधनी कुरिया (लाल बंगला) के सामने रखे द्वार हांड़ी से एक पत्ते के दोना में पानी लेकर आती है और कन्या के हथेली में दे देती है। कन्या उस पानी को पी कर दोना को रंधनी कुरिया की छान्ही में फेंक देती है। इसके बाद कन्या हाथ–पैर धोती है। इस समय से उसे शुद्ध माना जाता है।

घर की बुजुर्ग महिला/सियानिन पृथक से भात बनाती है और खोदकर लाए गए छिंद कांदा को सियानिन और 09 बच्चे आपस मे बांटकर खाते है।

भुंजिया जनजाति में पूर्व में विवाह अल्प आयु में हो जाती थी किन्तु वर्तमान मे शासन के नियमानुरूप अधिमान्य आयु मे ही बालक–बालिकाओं का विवाह सम्पन्न कराया जाता है। भुंजिया जनजाति मे सर्वप्रथम **''आवती विवाह''** को प्राथमिकता दी जाती है।

आवती विवाह

भुंजिया जनजाति में लड़के के दाढ़ी–मूंछ आने व शारीरिक पुष्ट होने पर लड़के को विवाह योग्य माना जाता है। विवाह के लिए सबसे पहले लड़के के मामा की पुत्री को प्राथमिकता दी जाती है। जिसे **दूध लौटावा** कहा जाता है। विवाह योग्य लड़की होने पर लड़के के मामा से विवाह ही बात रखी जाती है। यदि सगे मामा के घर लड़की न हो या सगा मामा न हो तो रिश्ते में मामा की लड़की का पता लगाया जाता है। मामा के घर लड़की होने पर उससे ही विवाह किया जाता है। जिसे **आवती लाना** कहा जाता है। विवाह योग्य लड़की की जानकारी होने व लड़की के माता–पिता की रजामंदी होने पर लड़के पक्ष द्वारा बस्ती मे जनसामान्य की बैठक बुलाई जाती है जहां समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा विवाह की तिथि तय की जाती है। भुंजिया जनजाति में विवाह 05 दिन मे सम्पन्न होता है। प्रत्येक दिन पृथक–पृथक कार्यक्रम संपादित किया जाता है। ये कार्यक्रम निम्न है –

पहला दिन

वर–वधू के पिता बस्ती के लोगों को निमंत्रण देकर बैठक आयोजित करते है जिसमें विवास का कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। इस दिन सभी गांव वालो के साथ लकड़ी (ईधन आदि हेतु) लाने जंगल जाते है। संध्या के समय महिलाओं के द्वारा वन्दन गीत गाकर देवी–देवताओं की स्तुति की जाती है और समाज के सभी लोग विवाह कार्यक्रम अच्छे से सम्पन्न होने की कामना ईष्ट देव से करते है।

दूसरा दिन

दूसरा दिन **धरम खोटा** का होता है। इस दिन वर उपवास रहता है तथा वर पक्ष में वर और उसका भांजा और वधू पक्ष मे वधू का जीजा चांवल लेकर जंगल जाते है और जंगल में महुवा के पेड़ की पूजा कर उस पर चांवल छिंटकर महुवे की डाली काटकर घर ले आते है। इस दिन कांड़ विवाह की तरह महुवे की लकड़ी को छिलकर उसे घरके आंगन मे क्षैतिज गड़ा दिया जाता है और उसके बीच में एक खांचा (छिद्र) बनाया जाता है। इसी स्थान पर चांवल आटे से **चौक पुरा** जाता है। इस खांचा में महिलाएं **''खड़ी हल्दी''** डाल देती है। जिसे 02 कुंवारी कन्या कुटती है और इस समय महिलाएं गाना गाती है। पास ही दो दोना में चांवल और लाल/गुलाबी फूंदरा रहता

है जिसे हल्दी कुंद रही कन्याएं हल्दी कुंट रही कन्याएं हल्दी कुटने के बाद एक–एक ले जाती है। कुटी हुई हल्दी को महीन पीसकर, तेल मिलाया जाता है फिर से आम–पत्ते में लेकर देवी–देवता को लगाया जाता है। वर के घर में वर को स्नान कराकर सफेद धोती, कुर्ता पहनाया जाता है और सुवासा (वार का जीजा) उसे साथ लेकर ग्राम में भ्रमण कराकर प्रत्येक घर के सदस्यों से उसे मिलवाता है। सभी लोग वर को आशीष देते है। ग्राम भ्रमण के बाद सुवास वर को घर के उसी स्थान पर लाता है जहां महुवें की लकड़ी गड़ाई जाती है। यहां सुवासा वर को उस स्थान के 07 भांवर (फेरा) कराकर उसे वही बैठाता है। इसके बाद बैगा या सरमत परिवार की महिला सर्वप्रथम वर को हल्दी लगाती है। तत्पश्चात अन्य सदस्य वर को हल्दी लगाते है। तत्पश्चात घर के सभी सदस्य भोजन करते है। भोजन के पश्चात वर पक्ष बारात लेकर वधू के ग्राम को प्रस्थान करता है।

वधू के ग्राम में बारात पहुंचने के बाद वधू पक्ष द्वारा बारात **परघाया** (बारात का स्वागत किया) जाता है। बारात परघाने के बाद बारात को **''जेवनासा''** दिया जाता है। जेवनासा वधू ग्राम में ही वधू के घर से पृथक एक स्थान होता है जहां बारात मे ंआये लोगों के ठहरने की व्यवस्था होती है।

इसी दिन वधु के घर क आंगन मे गड़ाये गये महुवा की लकड़ी के स्थान पर चार लंबी लकड़ी उद्धर्वाधर गड़ाया जाता है जिसे महुवा की डालियों की सहायता से ढक कर **मडवा** बनाया जाता है। भुंजिया जनजाति मे इसे **''खड़केला''** कहा जाता है। मडवा बनाते समय वधू लाल बंगला में ही रहती है। मडवा बनने के बाद वधू का भाई उसका हाथ पकड़कर लाल बंगला से बाहर लेकर मडवा मे लाता है यह समय **हास परिहास** का होता है इस लिए घर की महिलाएं वधू से हास परिहास करती है। भुंजिया जनजाति में इस प्रकार से वधू जब एक बार अपने पिता के लाल बंगला से बाहर आ जाती है तब इस दिन के बाद से वह उस लाल बंगला की सदस्य नही रह जाती और दोबारा वहां प्रवेश नही कर सकती है। वधू के मडवा में आ जाने के बाद वर पक्ष उस स्थान पर आता है जहां सुवासा व कुछ सदस्य 01 काठा धान, 01 साड़ी वधू की माता और 01 साड़ी डेड़सास (वधू की बुआ या बहन) के लिए ले कर आते है। लाई गई साड़ी को **मायसारी** कहा जाता है। इसके बाद मडवा में **दिनवारी** वर–वधू को मौर बांधता है। मौर बांधने की रस्म के बाद सर्वप्रथम वर मडवा का 07 भांवर (फेरा) लेता है फिर वधू मड़वा का 07 फेरा लेती है। दोनों भांवर वर–वधू द्वारा अलग–अलग लिया जाता है। फेरे घड़ी की घूर्णन दिशा के विपरित लिया जाता है। भांवर की पूर्व रात्रि मे ही वर–वधू के कपड़े को हल्दी, तेल और पानी के लेप से पूरी तरह से **प्यूरांवन** (पीला रंग) कर दिया जाता है जिसे **लगीन धराना** कहते है।

तीसरा दिन

इस दिन वर–वधू एक चादर के दोनों ओर खड़े रहते है जहां वधू का जीजा कांड़ (तीर) लेकर आता है और उस कांड़ को वर को दे देता है, इसके बदले वर पक्ष वधू के जीजा को धोती या कपड़ा देता है। दोनों ओर से एक दूसरे की तरफ चांवल छिंटा जाता है इसके बाद वर वधू को लेकर मडवा मे जाता है। यहां वर–वधू को एक कपड़ा ओढाया जाता है और मडवा में 04 रूखा, 04 दिया रखा जाता है। वर–वधू को उसी अवस्था में मडवा का भांवर कराया जाता है और पुनः चौक पुरे गये स्थान पर बिठाया जाता है। इस समय दिनवारी के द्वारा 07 मुर्गी की पुजई (बलि) दी जाती है। इसके बाद **सुवासा–सुवासिन** (वर का जीजा एवं वधू की बुआ) वर–वधू को साथ लेकर ग्राम के सभी घरों में जाकर सबसे भेंट कराकर आशीर्वाद दिलाते है। ग्राम भ्रमण के बाद वर–वधू को तालाब/नदी ले जाया जाता है। जहां वर–वधू एक दूसरे का मौर उतारते है और एक दूसरे से पूछते है कि आप मुझे क्या भेंट दोगे? यह एक प्रकार से वर–वधू को संवाद करने के लिए अवसर होता है।

इसके बाद विवाह में उपयोग मे लाये गये कलशा (मिट्टी का छोटे घड़े) को वर–वधू द्वारा छिपाया जाता है और दोनों एक दूसरे द्वारा छिपाये गये **कलशा** को ढूंढते है। यह एक प्रकार का खेल होता है। इसके बाद इन्ही **कलशा** में पानी लेकर वर–वधू स्नान करते है। स्नान के बाद वर–वधू घर को लौटते है, इस समय वधू अपने सिर में एक कलशा में पानी लेकर आती है। घर आने वाले मार्ग में वधू पक्ष के सदस्यों द्वारा धनुष कांड़ रखा जाता है जिसे वधू प्रणाम कर वर को दे देती है। उसी मार्ग पर आगे पैरा, तरोइइ/डोड़की से एक मृग बनाकर रखा जाता है जिसे मार्ग मे ही वर धनुष–कांड़ की सहायता से बेधता है। यह जनजातियों में भोजन व अन्य आवश्यकताओं हेतु **शिकार करने की कुशलता के प्रतीकात्मक** रूप में किया जाता है।

इसी क्रम में आगे मार्ग में एक स्थान पर नांगर–जुड़ा रखा जाता है जिसे पुनः वधू प्रणाम कर वर को देती है और वर उसे लेकर आगे बढ़ता है। आगे कुछ दूरी पर एक मूसल रखा होता है जिसे वर प्रणाम कर वधू को दे देता है। यह वधू के गृह कार्य में उपयोगी वस्तु का प्रतीक होता है। वधू के मूसल प्राप्त कर लेने के बाद वर नांगर जुड़ा के साथ व वधू मूसल के साथ मडवा वाले स्थान की ओर दौड लगाते है। जहां वर वधू के वधू घर पहुंचने के पहले एक झुले में कलशा रखा जाता है जिसके अन्दर तांबे की अंगुठी रख दी जाती है। जो सर्वप्रथम वहां पहुंचकर कलशा मे रखे अंगुठी को प्राप्त कर लेता है उसे विजेता माना जाता है और हास परिहास में कहा जाता है कि अमुख विजेता ही घर का मालिक होगा उसकी ही बात चलेगी।

इसके बाद वर–वधू श्रृंगार कर आते है और उन्हें **धरमटीका** में बैठाया जाता है। जहां सर्वप्रथम बड़े बुजुर्गों द्वारा वर–वधू को उपहार भेंट दिया जाता है इसके बाद अन्य सदस्य इच्छानुसार भेंट देते है जिसे **टीकावन टिकना** कहा जाता है। टीकावन के बाद वर–वधू को भोजन कराया जाता है और इस समय ही वर–वधू का उपवास समाप्त हो जाता है। भुंजिया जनजाति में टीकावन–भोजन के बाद वधू की विदाई कर दी जाती है।

चौथा दिन

रात्रि में ही बारात वर के घर वापस आ जाती है। इसी रात्रि को ही बारात को परघाया जाता है और जेवनाासा दिया जाता है। सुबह वर–वधू को ग्राम मे ंप्रत्येक घर में ले जाया जाता है। जहां सभी से भेंट कर आशीष लिया जाता है। इसके बाद वर–वधू को तालाब स्नान के लिए ले जाया जाता है। स्नान कर वर–वधू वर के घर वापस आते है जहां श्रृंगार करने के बाद दोनों को धरमटीका में बैठाया जाता है। यहां वर पक्ष टीकावन करता है। टीकावन के बाद वधू वर के लाल बंगला के **द्वार हाण्डी** मे रखे पानी से हाथ पैर धोकर लाल बंगला में चुल्हा जलाती है और परिवार के सदस्यों के लिए भोजन बनाती है। शेष अतिथियों हेतु पृथक से भोजन तैयार किया जाता है।

इसी दिन चौथिया (वधू के परिवार के सदस्य) आते है। चौथिया को वर पक्ष द्वारा परघाया (स्वागत किया) जाता है। चौथिया को भोजन कराकर विदाई दी जाती है।

पांचवा दिन

इस दिन नव दम्पत्ति महलिया के साथ एक मुर्गा, एक मुर्गी, एक काठा धान लेकर वधू के घर जाते है। वधू के घर साथ लाए उक्त सामग्री को वधू के पिता को दे दिया जाता है। यहां भोजन करने के बाद वधू का पिता नव दम्पत्ति को एक मुर्गा, एक मुर्गी, एक काठा धान देता है। जिसे लेकर वर–वधू वापस वर के घर आ जाते है।

छठां दिन

वधू के पिता द्वारा नव दम्पत्ति को दिया गया भेंट वे वर के पिता को देते है और इसके बाद नव दम्पत्ति अपने दाम्पत्य जीवन की शुरूवात करते है। प्रारंभ में जब तक नव दम्पत्ति का स्वयं का **लाल बंगला (रसोई घर)** तैयार नही हो जाता है तब तक नव दम्पत्ति वर के पिता के लाल बंगले मे भोजन बनाता है। लाल बंगला तैयार हो जाने के बाद से वे अपना भोजन अपने लाल बंगला में बनाना प्रारंभ कर देते है।

भुंजिया जनजाति में विवाह की पुरी प्रक्रिया में वर सफेद धोती पहने रहता है और एक धोती अपने कांधे में डाले रहता है जिसे **निखरा** कहते है। साथ ही एक हाथ में एक **खाड़ा** (तलवार) पकड़े रहता है। वहीं वधू एक सफेद साड़ी धारण करती है। विवाह तक वधू केवल साड़ी पहनती है ब्लाउज धारण नही करती है और न ही कान में खिनवा धारण करती थी। सामान्यतः भुंजिया जनजाति में महिलाएं सफेद साड़ी ही पहनती है। पूर्व में महिलाएं साड़ी के साथ ब्लाउज नही पहनती थी। विवाह के बाद भुंजिया जनजाति की महिलाएं मेहंदी, टिकली (बिंदी) नही लगाती है।

मृत्यु संस्कार

भुंजिया जनजाति में मृत्यु से आशय, श्वास बंद होना, धड़कन बंद होना, जीव–नाड़ी बंद होना, शरीर से आत्मा/प्राण की निकलना होता है। मृत्यु के पश्चात शरीर जड़ हो जाता है, पैर की एक अंगूठे को पकड़कर हिलाने से पूरा शरीर हिल जाता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा स्वर्ग लोक मे चला जाता है। पूर्ण आयु प्राप्त कर व्यक्ति की मृत्यु होने से आत्मा नही भटकती किन्तु अल्प आयु में होने से आत्मा भटकती रहती है।

भुंजिया जनजाति में मृत शरीर को दफनाते है। इनमे जलाने की प्रथा नही पायी जाती है, किसी भी परिस्थिति में मृत्यु होने पर दफनाया जाता है क्योंकि जलाने से दुख होता है। इनमें मान्यता है कि शरीर मिट्टी का बना होता है। इसलिए इसे मिट्टी में ही मिलना है। मृत्यु मश्चात शव को उसके पुत्र अथवा निकटस्थ रिस्तेदार के कंधे पर शव के सिर को सामने रखकर गांव के बाहर तक लाते है। घर की महिलाएं जहां का **काठी** (मरकठी) रखने के पूर्व उस स्थान को गोबर पानी से लिपती है, शव को उठाने के पश्चात महिलाएं वहां की मिट्टी उठाकर एक मटकी में रखकर वहां का सात फेरा लगाती है तथा शवयात्रा के साथ–साथ गांव के बाहर तक आती है, वहां पर उस गोबर पानी से मृत शरीर का पैर धोती है, फिर अपने घर वापस चली जाती है। उसी स्थान पर समधान की महिलाएं या बहू–बेटियां उस गोबर की मटकी को उल्टे हाथ से पीछे की ओर फेंककर वापस चली जाती है।

गोबर पानी से शव का पैर धुलवाने के पश्चात शव के पैर को सामने दिशा मे रख श्मशान तक ले जाते है। दफनाने के लिए समधान परिवार या ग्राम के लोगों द्वारा शव की लंबाई अनुसार 6 फीट लम्बा, 2–2.5 चौड़ा तथा 4 फीट गहरा गड्डा खोदते है। गड्डे में एक सफेद नया कपड़ा बिछाते है, पुराने कपड़े को सिरहाने पर रख देते है। दफनाते समय शव का सिर उत्तर दिशा की ओर मे रखते हुए हांथ एवं पैर सीधी स्थिति मे पेट के बल रख कर लिटाते है। उसके उपर एक सफेट नया कपड़ा ओड़ाकर उसके उपर मिट्टी डालते है। शव को गड्डे मे डालते समय समधान परिवारा का एक सदस्य तथा घर का एक सदस्य नीचे गड्डे में उतरते है, जहां कपड़ा ओढ़ाकर तथा सिरहाना रखकर उपस्थित समस्त सदस्य एक साथ मिट्टी डालते है। दफनाने से पूर्व शव को गड्डे के चारों ओर सात बार घुमाते है। पूर्व में दफनाने के पश्चात मिट्टी के उपर दो लकड़ी व सात पत्थर रखते थें किन्तु वर्तमान में मिट्टी को पत्थर से पूर्णतः ढक देते है। श्मशान मे शव को दफनाने के पश्चात समधान परिवार का एक सदस्य एक ओर से सात बार धान को फेंकते है तथा दूसरी ओर से घर का व्यक्ति सात बार टंगिया को फेंकते है, इसके पीछे कारण विवाह में सात फेरे होने को दिया जाता है। बचे हुए धान को उपर छिड़क देते है।

मिट्टी देने के पश्चात बाजू में एक बार गैती अथवा सब्बल से एक बार जमीन को खोदते है, जिसे धरम मिट्टी कहा जाता है, वहां पर उपस्थित समस्त सदस्य, पत्थर डालने के पश्चात पुनः इस खोदी गई मिट्टी से थोड़ी–थोड़ी मिट्टी डालते है, इस समय बड़े बेटे के द्वारा सर्वप्रथम मिट्टी डाली जाती है।

पुरूष की मृत्यु होने पर **1 धनुष, 1 बाण** शवाधान स्थल पर रखा जाता तथा एक **टंगिया** (कुल्हाड़ी के धातु के भाग) को बेंठ (लकड़ी के हत्थे) में उल्टा गाड़कर वहां पर छोड़ देते है। मृतक द्वारा उपयोग किये गये समान जैसे खटिया, कपड़ा आदि शवाधान की जगह पर छोड़ देते है। उसी प्रकार किसी महिला की मृत्यु होने पर उस स्थान पर **मोरगी** (नागर का लोहे वाला भाग), एक **चुरकी** एवं **खाने पीने का बर्तन** शवाधान स्थल पर छोड़ दिया जाता है।

शव को दफनाने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात **उसर बूटा** (एक प्रकार की घास) को सब्बल के साथ पानी मे भिगोते है उपस्थित लोग उससे टपकने वाले पानी से हाथ धुलाकर घर वापस चले जाते है। घर वापस आने पर सोनवानी गोत्र का सदस्य सबके उपर दूध पानी छिड़कते है, **सरमत और बारीक** व्यक्ति वहां पर तेल और हल्दी को मिलाकर रखते है, जिसे शव यात्रा में शामिल सभी लोग चुपड़ते (लगाते) है, फिर अपने–अपने घर चले जाते है।

मृत्यु के तीसरे दिन तिजनहावन होता है। तीज नहावन के दिन मुण्डन एवं दाड़ी मुछ मुड़ाते है, समाज के सभी पुरूष वर्ग दाड़ी मूंछ एवं परिवार के लोग सिर मुडाते है। परिवार के बड़े सदस्य की मृत्यु पर समस्त छोटे सदस्य अपने सिर के बाल मुडाते है। बड़ा व्यक्ति अपना बाल नही मुड़ाता। किन्तु सभी लोगों को मुंछ मुड़ाना अनिवार्य होता है। मुण्डन का कार्य सामाजिक व्यक्ति **''पाठक''** द्वारा किया जाता है। परिवार के सबसे ज्येष्ठ पुत्र का **''माई लुचाई''** उस्तुरे से उसे मामा के द्वारा ही उतारा जाता है। इस दिन मृत व्यक्ति दातोन और तेल पानी देते है। पान के दोना मे एक दोना मे तेल तथा एक दोना मे बड़ा लड़का का माई लुटाई तथा तेंदू का एक दातोन तालाब मे देते है। सर्वप्रथम बड़ा लड़का दोनों दोने मे एक–एक अंजुली पानी देता है। फिर समाज के समस्त सदस्य दोनों दोने मे **5–5 असर** (अंजुली) पानी देता है।

मान्यता है कि पानी देने पर सामान्य मौत होने पर पानी में तेल तैरता हुआ अलग से दिखाई देता है किन्तु किसी कारणवश मौत होने पर उसमे लाल नीला अथवा पीला रंग दिखाई देता है। फिर सभी लोग तालाब में स्नान करते है। नहाते समय तालाब से 1–2 मछली पकड़ते है, फिर घर वापस आते है। घर आकर सोनवानी द्वारा दूध पानी का कार्यक्रम होता है। फिर कपड़ा पहन कर घर में प्रवेश करते है।

मृत्यु से लेकर **तीज नहावन** तक घर मे चूल्हा नही जलता है। तीजनहावन के दिन घर को लीप–पोतकर मृत आत्मा के लिए छोटे से बर्तन में रंधनी घर (किचन) में खाना बनता है। भात को एक दोना मे लेकर घर के बाहर गोबर से लीपकर वहां रख देते है और उसके उपर मछली तथा दूसरे दोने मे पानी रखकर मृत आत्मा को बुलाते है। जब तक कि उस पर कोई चिट्टी, मक्खी या अन्य कोई जीव आकर भोजन ग्रहण नही करता है।

समस्त लोगों के लिए खाना घर से बाहर बनाते है। मृत्यु भोज का भोजन गांव के कुंवारे बच्चों के द्वारा खुले आंगन मे मंडवा बनाकर बनाते है। फिर उपस्थित सभी नाते–रिश्तेदारों एवं गांव के लोगों को खाना खिलाते है।

मृत व्यक्ति के परिवार में 2 सप्ताह तक मांस–मछली नही खाते। दो सप्ताह पश्चात समधियान परिवार के लोग उसे अपने घर ले जाते है। महिलाओं को उसके मायके वाले तथा पुरूष को उसके दूर के भाई, परिवार वाले या समधियान के लोग 2–4 दिनों के लिए अपने घर लेजाकर वहां उसे मुर्गा या मछली बचाकर खिलाते है। उसी दिन से उस परिवार के लोग मांस–मछली खाना प्रारंभ करते है।

==0==

अध्याय 08
धार्मिक जीवन

भुंजिया जनजाति प्रकृति पूजक है। इनके देवी–देवता, ईष्ट देव प्रकृति से संबंधित जैसे वृक्ष, पहाड़, नदी, पशु–पक्षी आदि के स्वरूप में ही होते है। इनके ईष्ट देव निम्न है –

1. ग्राम देव

ग्राम देव भुंजिया जनजाति के निवास ग्रामों के देव होते है। जो प्रायः सभी समुदाय के लोगो द्वारा पुजे जाते है। ग्राम देव के रूप में प्रमुख ठाकुर देव को माना जाता है। ग्राम देव का स्थान ग्राम की सीमा में होता है। इन्हें **धवड़ा वृक्ष** के नीचे या किसी अच्छी जगह पर पत्थर के रूप में रखा जाता है। ठाकुर देव की पूजा वर्ष में दो बार की जाती है। प्रथम पूजा चैत्र माह में **चैतरई** के रूप में एवं दूसरी पूजा अगहन माह में एकादशी या तीज के दिन की जाती है। ठाकुर देव की पूजा किसानी एवं ग्राम की रक्षा के उद्देश्य से की जाती है। चैत्र माह में कृषि कार्य के प्रारंभ ठाकुर देव की पूजा की जाती है तथा अगहन माह में धान की फसल कटाई के बाद **खरही** रचते है (धान के पौधे की कटाई के बाद उसे व्यस्थित रूप से पिरामिड का रूप दिया जाता है।) तथा खर बीज जात्रा मनाते है। इसके बाद ही धान की मिंजाई का कार्य किया जाता है।

ठाकुर देव की पूजा केवल पुरूष वर्ग द्वारा किया जाता है और इसके प्रसाद भी केवल पुरूष वर्ग ही खाते है महिलाएं ठाकुर देव की पूजा का प्रसाद ग्रहण नही कर सकती है।

नारियल, धूप, अगरबत्ती, दूध, चांवल, बंदन–गुलाल आदि समाग्री से ठाकुर देव की पूजा की जाती है तथा सफेद बकरे की बलि दी जाती है। बलि देने का कार्य बैगा का होता है। बलि

दिये गये बकरे को उसी स्थान पर पकाया जाता है और उपस्थित सभी पुरूष सदस्य इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते है। ठाकुर देव को मंद नही चढ़ता है।

2. काल्हा देव

काल से रक्षा के लिए काल्हा देव का स्मरण किया जाता है। काल्हा देव दो भाई है बड़ा भाई **बड़े मलेवा** एवं छोटा भाई **छोटे मलेवा** को माना जाता है। दोनों भाईयों को मिलाकर चार बंटिया कहते है। जंगल मे पहाड़ के नीचे पत्थर के रूप में इन्हें स्थापित किया जाता है। भुंजिया जनजाति में माना जाता है कि काल से रक्षा के लिए स्मरण करने पर ये सहायता करते है। इनकी पूजा भी चैत्र एवं अगहन माह में की जाती है तथा इन्हें काले बकरे की बलि दी जाती है।

3. शीतला माता/बूढ़ी माता

इनका स्थान ग्राम सीमा में होता है। यह ग्राम की प्रमुख देवी है जो ग्राम की रक्षा करती है। शीतला माता को ग्राम सीमा में एक स्थान पर घर बनाकर रखा जाता है। जिसे **देवाला** कहते है। यहां ग्राम बैगा प्रतिदिन दीया (दीपक) जलाता है। इनकी पूजा अषाड़ माह के एकदशी से पंचमी तक की जाती है जिसे **माता पहुंचानी** कहते है। माता पहुंचानी में ग्राम के समस्त महिला–पुरूष शामिल होते है। नारियल, धूप, चांवल, लाई, गुलाल, काली सिंदूर आदि से इनकी पूजा की जाती है तथा मांदर, ढफली, मंजिरा आदि बजाकर सेवा गीत गाते है। शीतला माता को **खैरी बरई (भूरे रंग की बकरी)** की बलि दी जाती है। शीतला माता का मंदिर को सफेद रंग से ही पोता (रंगा) जाता है।

इसी दिन **कंकालीन माता** को भी **कारी बरई (काले रंग की बकरी)** की बलि दी जाती है। शीतला माता का के प्रतीक के रूप में लोहे का त्रिशूल होता है तथा कंकालीन माता के प्रतीक के रूप में **कटही** रहता है। शीतला माता एवं कंकालीन माता का प्रसाद सभी स्त्री–पुरूष ग्रहण कर सकते है। साथ ही इस दिन समस्त देवी–देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है।

4. रिच्छिन पाठ

शीतला माता के मंदिर के बाहर ही एक वृक्ष के नीचे या सामान्य जगह पर रिच्छिन पाठ का स्थान होता है। शीतला माता के बाद इनकी पूजा की जाती है। माता पहुंचानी के दिन इन्हें कारी बरई की बलि दी जाती है।

5. धारणी दाई

धारणी दाई पत्थर को पत्थर के रूप में माना जाता है। बैसाह माह के बाद अक्ती के दिन घर से बीज निकाल कर ठाकुर देव के पास रखा जाता है और फिर उसे धारणी दाई से प्रमाणित कर की ये बीज बोने के लायक है कि नही विनती की जाती है। तत्पश्चात बैगा के बताये अनुसार नारियल, सुपारी से पूजा कर बीज को खेतों में बोते है। धारणी दाई को सफेद बरई की बलि दी जाती है।

6. माटी दाई (धरती माता)

धान गर्भ बीज बनने के समय इनकी पूजा की जाती है अर्थात् धान को खेतों में डालने के बाद माटी दाई की पूजा की जाती है। इस हेतु बैगा सूर्यास्त के बाद बोये गये कुछ बीज (2–3 नग) को उखाड़कर लाता है और उसके गर्भ को खोलकर उस जगह पर रखता है। साथ ही ऐसे मादा सुवर जिसका पेट और थन जमीन से स्पर्श करता हो उसके एक बच्चे की बलि दी जाती है तथा उसका सिर उस बीज के साथ गाड़ देता है। इससे माना जाता है कि, फसल और उत्पादन अच्छी होगी।

7. होलिका (होलाय भटहिन)

फागुन माह मे होलिका दहन के दिन 12 ग्राम के प्रत्येक परिवार के सदस्य थोड़ा–थोड़ा पानी लेकर पटेल गांव में आते है। जहां एक बड पेड़ (बरगद के वृक्ष) के नीचे पानी चढ़ाते है और प्रत्येक ग्राम से एक–एक मुर्गा लाया जाता है जिसे बड पेड़ के उत्तर दिशा में बलि दी जाती है। साथ ही इस दिन कारी बरई की बलि दी जाती है। भुंजिया जनजाति के द्वारा माना जाता है। कि इससे ग्राम में रोग आदि नही आते है।

8. नवाखाई

भुंजिया जनजाति भाद्र माह के एकम या तीज के दिन **नवा खाते** है अर्थात् नये फसल को भोजन के रूप में प्रथम बार खाना। नवाखाई के दिन खेत से नये धान की बाली को बिना हसिया से काटे हाथों **''सुरर कर''** (हाथों से ही झड़ा कर) लाया जाता है जिसे बाहना में कुटा जाता है। फिर नये हड़िया में **''कलोते''** (भूनते) है। भूने हुए अन्न के आधे भाग का चिंवड़ा बनाया जाता है और आधे भाग को पुराने चांवल में मिलाकर खीर बनाया जाता है। भेलवा पान, ओरइंया पान, भावना तूमा, फूंटू खीरा डूमा पितर (घर के लाल बंगला के भीतर कक्ष में स्थापित देव) में रखा जाता है। नारियल, धूप देकर पूजा की जाती है और खीर का भोग लगाया जाता है। इस दिन पूरा भोजन लाल बंगला में ही बनता है। भोजन में भात, खीर, कोचई पत्ता मिलाकर खट्टा सब्जी बनाया जाता है। इसके बाद शेष खीर को उन्ही पत्तों में रख कर प्रसाद के रूप में तथा सहपरिवार नवा खाकर नवाखाई त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन घर की कुंवारी कन्या और छोटे बच्चों के द्वारा चांवल आटे का लेप बनाकर हाथों से लाल बंगला की दीवारों में हाथ की छपाई की जाती है। जिसे **हाथा देना** कहा जाता है।

9. चउंर धोनी या रोटी खानी

अगहन माह में अरवा धान खाने के पूर्व इस त्योहार को मनाते है। इस त्योहार को मानने के पूर्व अरवा चांवल को केवल उबालकर ही खाया जाता है। **चांउर धोनी** के दिन अरवा चांवल को पीस कर मोटी रोटी बनाते है और इसे डूमा पितर को चढ़ाते है तथा परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुसार कबरा मुर्गी की पूजेई दी जाती है।

भुंजिया जनजाति उक्त त्योहारों को परम्परागत रूप से मनाते है और साथ ही क्षेत्र में मनाये जाने वाले त्योहार जैसे होली, दीपावली, दशहरा आदि को भी बड़े उत्साह से मनाते है।

==0==

अध्याय 06

अर्थ व्यवस्था

सामाजिक मानव अपने अस्तित्व के लिए कुछ न कुछ आर्थिक आवश्यकताओं को अनुभव करता है। जिनमें भोजन निवास तथा वस्त्र को आधारभूत आवश्यकता मानकर विभिन्न स्त्रोंतों के माध्यम से इनकी व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जाता है। सामान्यतः '' अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत एक समाज या एक समूह की एक विशिष्ट प्राकृतिक पर्यावरण प्रौद्योगिकी स्तर और सांस्कृतिक परिस्थितियों के सीमाओं के अन्दर भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किये गये समस्त कार्यों का समावेश होता है। जनजातीय समाजों में आर्थिक विकास के प्रमुख स्तरों में शिकार करने, भोजन इकठ्ठा करने, वनोपज संकलन, पशुपालन, आदिमकृषि का स्तर प्रमुख रहा है। जनजातीय समुदाय वर्तमान मे भी औद्योगिक स्तर तक नही पहुंच पाया है। जनजातीय समुदाय द्वारा आदिम तकनीक की कृषि, स्थानीय वन संशाधनों में उपलब्ध वनोपजों के संकलन, पशुपालन एवं सीमित मजदूरी अथवा कृषि मजदूरी जैसे सम्मिलित संसाधनो से अपने आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते है।

अतः जनजातियों की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। राज्य की भुंजिया जनजाति द्वारा भी जीवनयापन हेतु मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था के माध्यम से जीविकोपार्जन करती है। जो निम्नांकित है –

1. वन उत्पादों का संकलन

भुंजिया जनजाति के निवास क्षेत्रों में वनोपज संकलन का चक्र चैत्र माह से आषाढ़ माह का होता है। उक्त अवधि मे क्षेत्र में पाये जाने जाने वाले वनोपज जैसे – चार, महुआ, तेंन्दुपत्ता, सरई बीज, बोड़ा, छाती (फूटू), तेन्दुफल, करील, भदेली फूटू, डोंगरी भाजी एवं आम आदि का संकलन विशेष ऋतुकाल मे किया जाता है। उक्त वनोपज छोटी अवधि में ही प्राप्त होते है किन्तु इनके संकलन से भुंजिया जनजाति अपना जीविकोपार्जन करती है। माहवार वनोपज संकलन का विवरण निम्नानुसार है –

(अ) महुआ

महुआ जनजातीय क्षेत्रों में जनजातियों के आर्थिक–सामाजिक जीवन की मुख्य वस्तु है। सामान्यतः जनजातियों के जीवन में महुआ एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता

है। महुआ का उपयोग पृथक–पृथक रूप यथा फूल, फल, पत्ते, डाल आदि के रूप में जनजातीय जीवन में अहम स्थान रखता है। जहां एक ओर महुआ के पत्तों एवं डाल का उपयोग विवाह में मड़वा में उपयोगी होता है वही महुआ फूल खाद्य व्ययवहार में सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है तथा महुआ के फल को सुखा कर **महुआ लाटा** बनाया जाता है जो एक पौष्टिक लड्डू के रूप में उर्जा का एक स्त्रोत होता है वही महुआ के फल से महुआ की शराब का निर्माण किया जाता है जो जनजातीय जीवन का अभिन्न अंग है जिसे पेय के रूप में उपयोग किया जाता है।

भुंजिया जनजाति में महुआ के फूल–फल का संकलन प्रायः चैत्र माह के प्रथम 15 में किया जाता है। महुआ संकलन का कार्य प्रायः बच्चे, महिला एवं बुजुर्ग सदस्यों द्वारा किया जाता है। संकलन उपरांत महुआ को सुखाया जाता है तथा साप्ताहिक बाजार में आवश्यकता अनुरूप इसका विक्रय किया जाता है। महुआ के संकलन में संलग्न परिवार को इससे औसतन 5000–20000 रूपये तक की आय प्राप्त हो जाती है।

(ब) चार

महुआ संकलन के बाद चार के बीज चैत्र माह में ही शेष 15 दिनों की अवधि मे किया जाता है। इनका संकलन उक्त अवधि मे घर के छोटे सदस्यों से लेकर वरिष्ठ/बुजुर्ग सदस्यों द्वारा किया जाता है।

(स) तेन्दुपत्ता

तेन्दुपत्ता का संकलन महुआ एवं चार के दिनों के बाद किया जाता है। तेन्दुपत्ता संकलन की अवधि 10 दिनों की ही होती है। तेन्दुपत्ता महुआ के बाद द्वितीय वनोपज है जो इनके आर्थिक जीवन में अहम स्थान रखता है। तेन्दुपत्ता का संकलन प्रातः काल में किया जाता है, तेन्दुपत्ता संकलन में परिवार के प्रत्येक सदस्य संलग्न रहते है। तेन्दुपत्ता का संकलन कर उसे 100 की संख्या में बांधकर बंडल बनाया जाता है और 20 बंडल का एक बीड़ा बनाया जाता है। जिसे ग्राम के फड़ (तेन्दुपत्ता संग्रहण केन्द्र) में विक्रय

किया जाता है। जिससे संलग्न परिवारों को औसतन 10000–20000 रूपये तक की आय प्राप्त हो जाती है।

(द) सरई

सरई के वृक्ष भुंजिया जनजाति निवासरत क्षेत्रों में अधिकता में पाया जाता है। सरई वृक्ष भुंजिया जनजाति में धार्मिक आस्था का भी केन्द्र है। जहां ये अपने ईष्ट देवों का स्थान भी निश्चित करते है। वन क्षेत्रों में सरई के वृक्ष आकार में सबसे लंबे होते है। सरई के पेड़ों में फूल लगने का समय जेठ माह का होता है। इस समय वृक्षों मे फूल लगने के बाद ये फूल धीरे–धीरे झड़ने लगते है और जमीन पर बिखर जाते है। इनका भूरा लाल होता है जो बहुत ही सुंदर दिखाई देते है और जमीन पर मानो लाल रंग की कालीन बिछाए हुए प्रतित होते है। इन फूलों का संकलन किया जाता है। संकलन कर इन फूलों को सुखाकर विक्रय किया जाता है। या तो इन फूलों को सर्वप्रथम सुखाया जाता है और सुख जाने के पश्चात इनको जला लिया जाता है। तत्पश्चात इनके जलने के पश्चात शेष बचे फल/बीज को बाजार में विक्रय किया जाता है जिसका बाजार मूल्य 20–30 रूपये प्रति किलो होता है।

(य) आम

भुंजिया निवासित क्षेत्रों में वन में अथवा ग्राम के आस पास बहुतायत में आम के वृक्ष पाये जाते है। जिनमें वर्ष मे एक बार आम के फल लगते है। ग्रामवासियों के साथ ही भुंजिया जनजाति द्वारा अपने अधिपत्य के आम के पेड़ों अथवा वन में आम के बागानों से आम के फल को तोड़कर विक्रय एवं स्वयं के उपयोग हेतु संकलन किया जाता है। आम संकलन का कार्य जेठ माह से आसाढ़ माह में किया जाता है। जेठ माह में कच्चे आमों को तोड़कर विक्रय किया जाता है तथा इसके बाद के दिनों में पके आमों का विक्रय साप्ताहिक बाजार और समीपतम बाजारों में भी किया जाता है।

(य) छाती (फूटू)

छाती या फूटू वन क्षेत्रों में पायी जाने वाली पौधे के फूल का रूपांतरित भाग होता है। जिसे प्रायः सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। इस लघु वनोपज का संकलन आषाण माह के प्रथम 15 दिवस में किया जाता है।

(र) तेन्दुफल

तेन्दुफल के संकलन का कार्य आषाढ़ माह के अंतिम 15 दिवस में किया जाता है। तेन्दुफल का संकलन खाद्य पदार्थ निर्माण जैसे आचार या सब्जी हेतु करने के साथ साथ इसका विक्रय भी साप्ताहिक बाजार में किया जाता है।

(व) करील

वन क्षेत्रों में करील एक प्राकृतिक उपज है जो एक नए बांस के पौधे की कोपले है। सावन माह में पहली बारिश के साथ बासं के वन क्षेत्रों में करील बहुतायत मे प्राप्त होते है। करील का संकलन इसी माह में लगभग 10–15 दिनों मे किया जाता है। बांस के नये पौधों को काटकर महीन–महीन काटकर उपयोग किया जाता है। इसे सब्जी के रूप में अथवा अचार के रूप में बहुत पसंद किया जाता है। ग्रामीण तथा शहरी बाजार में इसकी मांग बहुत रहती है। इसके विक्रय से संलग्न परिवार लगभग 5 से 10 हजार की आय प्राप्त कर लेता है।

(ल) डोंगरी भाजी

वन क्षेत्रों में पहली बारिश के बाद बहुत से जंगली पौधे उगते है उनमे से एक डोंगरी भाजी अथवा कोंजेर भाजी है। भुंजिया जनजाति द्वारा इनका संकलन आषाढ़ माह में पहली बारिश के बाद किया जाता है इसका समय काल 8 दिन का होता है। इस भाजी का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है।

(श) भदेली फूटू

इसे भिंभोरा फूटू भी कहा जाता है। यह लघुवनोपज प्रायः दीमक वाले स्थान पर प्राप्त होता है। जिसका समय काल कुंवार माह में 07–10 दिनों मे किया जाता है।

2. कृषि कार्य

भुंजिया जनजाति का मुख्य अर्थोपार्जन का साधन कृषि है। भुंजिया जनजाति वर्तमान में भी अपनी परम्परागत तकनीक से कृषि कार्य करती है। अधिकांश परिवार आज भी कृषि कार्य हेतु अपने हल–बैल पर ही निर्भर है। खेतों की जुताई से लेकर फसल की मिंसाई तक पशुओं का उपयोग अधिकांशतः देखने को मिलता है। वहीं **बगई (पैरा रस्सी)** से निर्मित संग्रह पात्र जिसे **पुड़ा** कहा जाता है में अथवा घरों मे मिट्टी से निर्मित किये गये **कोठी** में धान का संग्रहण किया जाता है।

माहवार धान की फसल निम्नानुसार की जाती है –

<u>आषाढ़ माह</u>

भुंजिया जनजाति द्वारा आषाढ़ माह लगते ही धान के फसल हेतु तैयार शुरू कर दी जाती है। सर्वप्रथम इस माह में कृषक अपने खेतों में जाकर खेत में पड़े कांटे, झाड़ियों को की सफाई कर उनमें आग लगाने का कार्य करते है। ताकि फसल बोने के बाद ये कांटे पैरों में न गड़े। खेत की साफ – सफाई के बाद खेत की **''ओल्हा जोताई''** या **खुरा जुताई** या सुखी जुताई की जाती है। इससे पूर्व के फसल से बचे शेष भाग जड़ से उखड़ जाते है और धूप पड़ने पर सूख कर मर जाते है। साथ ही खुर्रा जुताई से नीचे की मिट्टी उपर आ जाती है और उपर की मिट्टी नीचे चली जाती है तथा बारिश का पानी के संचय हेतु स्थान भी मिलता है और पानी जमीन में प्रवेश करता है। जुताई कर जमीन को उसी अवस्था में छोड़ दिया जाता है।

<u>सावन माह</u>

इस माह में बारिश प्रारंभ हो जाती है और हल्की बारिश से भी खुर्रा जुताई से हुए खेत निर्माण में मिट्टी पानी को अवशोषित कर लेती है। 2–3 बारिश में खेतों के गीला हो जाने के बाद कृषक खेतों की पुनः जुताई करते है और खेतों मे बीज डाल देते है। जिसे **बोआई** कहा जाता है। बीज प्रायः पूर्व वर्ष की फसल से उपभोग हेतु एवं बिजहा हेतु बचा कर रखा गया होता है। वर्तमान में शासन द्वारा प्रदत्त बीजो का भी उपयोग किया जाता है। बोआई के बाद खेत के मेड़ को बांधा नही जाता क्योंकि यदि अधिक बारिश हो गई तो खेतों में पानी भर जाएगा और बीज सढ़ जाएंगे। बोए गए बीज के अंकुरण के बाद लगभग 10 ईंच तक होने के बाद ही खेतों के मेड़ों को पूरी तरह बांधा जाता है ताकि बारिश का पानी खेतों में भर जाए।

धान की फसल 2–3 फीट हो जाने पर खरपतवार की सफाई की जाती है। जिसे **निंदाई** कहा जाता है। इसके बाद हल बैल की सहायता से खेतों की पुनः जुताई की जाती है और

धान के पौधे को निश्चित अन्तराल मे व्यवस्थित रूप से लगाया जाता है। जिसे **बियासी** कहते है। निंदाई कार्य खेतो/फसल के अनुरूप 10–15 दिन का होता है। कुछ कृषक इसी अवधि में थरहा लगाने अथवा रोपाई का कार्य करते है। **''थरहा''** मुख्य खेत से पृथक स्थान पर धान के पौधे रोपे जाते है जिन्हें खेतों में पानी भर जाने के बाद उक्त स्थान से लाकर मुख्य खेत मे पौधे के रूप में लगाया जाता है जिसे **रोपाई** या **थरहा लगाना** कहते है।

भादो माह

भुंजिया जनजाति में भादो माह के तीज, पंचमी या सप्तमी के दिन नए आए धान की बालियों को **उररकर** (हाथों से पृथक निकालकर) घर लाया जाता है और इन्हें लाल बंगला की डेंकी में कुटकर चांवल प्राप्त कर लिया जाता है। प्राप्त चांवल की खीर बनाई जाती है और नवाखाई का त्योहार मनाया जाता है। भुंजिया जनजाति द्वारा नवाखाई के पूर्व तक **फूट, खीरा, मखना (कद्दू)** और नया चांवल नही खाया जाता है।

कुंवार माह

फसल पक जाने के बाद फसल कटाई के पूर्व परिवार का मुखिया बैगा के साथ नारियल, अगरबत्ती लेकर अपने खेत मे जाता है जहां बैगा फसल की पूजा कर हसिया से तीन मुठ्ठी पौधे काटता है जिसे मुठिया करना कहा जाता है। बैगा 03 मुठ्ठी धान प्रत्येक कृषक के खेत से काटता है। इसके बाद ही परिवार कटाई का कार्य प्रारंभ करते है।

परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर फसल की कटाई की जाती है। फसल कटाई के बाद कटे पौधों को पैरा से निर्मित रस्सी से बीड़ा के रूप में 2–3 फीट की गोलाई में बांधा जाता है। जिसे पुरूष वर्ग **सुर** (बांस की कांवर) की सहायता से कंधे मे लटकाकर **कोठार** मे लाते है वही महिलाएं बीड़ा को सिर में रखकर लाती है। कोठार मे बीड़ों को खोलकर पिरामिड़ के आकार में कटे हुए धान की फसल को सुरक्षित रखा जाता है जिसे **खरही रचना** कहा जाता है। खरही तभी रची जाती है जब फसल की मिजाई में समय शेष हो।

कार्तिक माह

फसल की मिंजाई हेतु **बेलन** की सहायता से अथवा **दौरी** पद्धति से की जाती है। दौरी मिंजाई में कोठार के बीच मे लकड़ी का एक खुंटा गड़ाया जाता है जिसके चारों ओर वृत्ताकर रूप मे कटे फसल को बिछा दिया जाता है और गड़ाए गए खुंटे में गाय, बैल को एक रस्सी की सहयता से त्रिज्या के क्रम में बांधा जाता है। बांधे गये पशुओं को कटे पौधों पर चलाया जाता है

जिससे एक समय में बाद पौधो से बीज और पैरा अलग हो जाते है। इसके बाद कलारी की सहायता से पैरा अलग कर लिया जाता है। प्राप्त बीज को सुपा की सहायता से **ओसा कर** (उड़ा कर) पृथक कर लिया जाता है। प्राप्त साफ धान को कोठी में भविष्य में उपभोग एवं बिजहा के रूप मे उपयोग हेतु संग्रह कर लिया जाता है।

3. कृषि मजदूरी

भुंजिया जनजाति समुदाय में स्वयं के कृषि कार्य के साथ–साथ प्रायः अन्य कृषिकों के खेती में मजदूरी का कार्य किया जाता हैं। कृषि मजदूरी का समय वर्ष में केवल 04–06 माह का होता है। इन दिनों में इनके द्वारा परिश्रम कर दैनिक रूप से 60–100 रू. का मजदूरी/पारिश्रमिक प्राप्त किया जाता है।

4. मजदूरी

वर्ष के 04–06 माह कृषि कार्य अथवा कृषि मजदूरी में संलग्न होने के बाद जब कृषि का कार्य समाप्त हो जाता है तब ये भुंजिया जनजाति के लोग अन्य मजदूरी जैसे : मनरेगा, घर निर्माण, सड़क निर्माण, दुकानों आदि में कार्य कर 100–120 रूपये तक का पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

5. पशु पालन

भुंजिया जनजाति में परिवार द्वारा कृषि कार्य, मांस एवं धार्मिक अनुष्ठानों हेतु पशुओं का पालन किया जाता है। इनमें कृषि कार्य हेतु बैल, भैस, मांस और धार्मिक अनुष्ठानों में पुजई (बलि) हेतु बकरी, बकरे, सुवर एवं मुर्गा/मुर्गियो का पालन किया जाता है। आवश्यकता या स्वयं के उपयोग से अधिक पशु हो जाने पर इनके द्वारा पशुओं का विक्रय भी किया जाता है।

6. खाद्य व्यवहार

भुंजिया जनजाति के सदस्य दिन में 03 बार यथा सुबह, दोपहर एवं रात्रि में भोजन करते है। प्रायः भोजन मे चांवल की भात और 01 ही सब्जी बनती है। दाल प्रतिदिन नही बनाया

जाता है। यदि दाल बनाई जाती है तो उसके साथ सब्जी नही बनाई जाती है सब्जी के स्थान पर टमाटर, लहसून, हरी मिर्च, धनिया और नमक को सील बट्टे में पीसकर चटनी बनाई जाती है। अथवा अचार भोजन मे लिया जाता है। अतिथि के आने पर मांसाहार में मछली या मुर्गी बनाई जाती है और वयस्कों द्वारा विशेष रूप से महुआ का मंद (शराब) का सेवन किया जाता है।

सुबह या गर्मी के दिनों में चांवल मे 3 गुना पानी डालकर उसे अर्द्ध पकी अवस्था में पानी सहित थाली में निकाला जाता है जिसे **पेज** कहते है। इसके साथ मिर्ची और नमक अथवा **''अथान'' (आम का सूखा अचार)** के साथ भोजन किया जाता है।

भुंजिया जनजाति द्वारा रात्रि के भोजन में बचे भात में पानी डालकर रख दिया जाता है जिसे सुबह उक्त पानी के साथ ही खाया जाता है जिसे **''बासी''** कहते है।

भुंजिया जनजाति क्षेत्र मे उपलब्ध होने वाले मौसमी भाजी, कंद–मूल के साथ छोटे जीव–जन्तुओं का शिकारकर खाते है जो निम्न है –

उपयोग की जाने वाली शाक्/भाजियां

चरोटा भाजी, सिरयाल भाजी, पात्रु भाजी, सोनसिना भाजी, कोंजेर भाजी, पीपल भाजी, बोहारभाजी, कोलम भाजी, कांदा भाजी, चेंच भाजी, जरी भाजी, मुनगा भाजी आदि।

कंद–मूल

पीठ कांदा, करू कांदा, कोचई कांदा, जीमी कांदा, उसका कांदा, नांगर कांदा, डांग कांदा, सकर कांदा आदि।

जीव–जन्तु

भुंजिया जनजाति द्वारा सभी पक्षियों (टोटम को छोड़कर) को खाया जाता है। सरमत, बारिक मरकाम गोत्र की महिलाएं मुर्गी नही खाती है तथा घर में पाले हुए सुवर का सेवन भी भुंजिया महिलाएं नही करती है। इनके अतिरिक्त खरगोश, हिरण, गोहिया, असोढ़िया/धमना सर्प, चुहा, चिटरा, मछली एवं बकरा इनके द्वारा मांसाहार मे खाया जाता है।

==0==

अध्याय 09

राजनैतिक–संगठन

समाज में शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए राजनैतिक संगठन का होना आवश्यक है जो समाज में प्रचलित निश्चित नियमों के आधार पर समाज को संगठित रखते हैं जिसे प्रथानुगत नियम कहते है जो मौखिक रुप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचारित होते रहता है। प्रथानुगत नियम का आधार पुरुष्कार एवं सजा की नीति होती है जिसमें समाज में अच्छे कार्य करने वालो की प्रशंसा तो नियम तोड़ने वालो को समाज द्वारा दंडित किया जाता हैं। राजनैतिक संगठन का अस्तित्व जाति पंचायत के रुप में पाया जाता हैं। इसके सभी पदाधिकारी स्वजातीय पुरुष सदस्य होते हैं। इसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं पायी जाती है।

भुंजिया जनजाति में परम्परागत न्याय व्यवस्था के साथ आधूनिक न्याय व्यवस्था का समावेश है। किन्तु स्वजातीय लोगों में विवाद या अप्रिय घटना के होने पर सामाजिक न्याय व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है। भुजिया जनजाति में सामाजिक स्तर पर **राजपाती, पुजेरी (राजा), सरमत** (मंत्री) द्वारा समस्याओं का निपटारा किया जाता है।

ग्राम पंचायत स्तर पर उत्पन्न हुई समस्याओं का निदान **ग्राम पटेल** के माध्यम से किया जाता है। ग्राम पटेल का पद वंशानुगत होता है। किन्तु उसमें सूझ–बूझ होना आवश्यक है। यदि वंशानुगत सदस्य न हो तो परिवार को कोई योग्य सदस्य पटेल या राजा बनता है। चूंकि भुंजिया जनजाति में ग्राम पंचायत में महिलाओं की भागीदारी नही होती है किन्तु महिलाओं से संबंधित मामले होने पर उनके घर के पास जाकर उनसे पूछ–परख की जाती है।

भुंजिया जनजाति में न्याय व्यवस्था हेतु समाज 07 सरकल (क्षेत्र) में विभक्त है जो निम्न है–

1. तेंदुबाय
2. कोदोपाली
3. महुआभाठा
4. कोपेकसा
5. बागबाहरा
6. जूनवानी
7. कोसमबूड़ा

सभी सरकल मे 07 अध्यक्ष एवं 07 उपाध्यक्ष है। ग्राम स्तर पर किसी भी प्रकार की सामाजिक समस्या उत्पन्न होने पर ग्राम स्तर पर बैठक आयोजिक कर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के द्वारा समास्या का निदान किया जाता है। सरकल में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के साथ साथ एक–एक **चपरासी** नियुक्त रहता है जो अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार सामाजिक सदस्यों को एकत्र करने का कार्य करता है। चपरासी का दायित्व माह में 15–15 दिवस में ग्रामों में जाकर सामाजिक समस्या/प्रकरण की जानकारी एकत्र करना एवं संबंधित परिवार के मुख्यिा से लिखित में जानकारी व हस्ताक्षर लेने का होता है। जिसे वह अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को अवगत कराता है। चपरासी को प्रतिवर्ष प्रत्येक घर से एक–एक काठा धान उसके मेहनताने के रूप मे दिया जाता है।

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के समक्ष प्रकरण आने पर उनके द्वारा ग्राम स्तर पर बैठक आयोजिक की जाती है और सामाजिक नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। ग्राम स्तर पर प्रकरण का निवारण नही होने की स्थिति पर सरकल स्तरीय समिति पर प्रकरण की जानकारी दी जाती है।

सरकल स्तरीय समिति – सरकल स्तर की समिति पर प्रकरण आने पर राजा, राजपाती, सनमत, तथा सातों सरकल के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की उपस्थिति में बैठक आयोजिक की जाती है जहां प्रकरण से संबंधित सदस्यों के बयान होते है और सामाजिक नियमानुसार उनका निवारण किया जाता है। कई

स्थितियों में सामाजिक न्याय व्यवस्था से प्रकरण का निदान न होने पर थाने अथवा न्यायालय स्तर पर भी प्रकरणों को निपटाया जाता है।

भुंजिया जनजाति मे सामाजिक प्रकरण आने पर उनका दण्ड प्रावधान तीन रूपों में होता है

1. खाना खिलाना
2. राशि के रूप में
3. जाति से निकालना

प्रकरण के निदान एवं दण्ड प्रावधान निम्न है –

क्र.	प्रकरण	निदान व दण्ड प्रावधान
1.	स्वजाति लड़की का दूसरे जाति (पानी छूत जाति) के लड़के से विवाह कर लेने की स्थिति में	लड़की को पूर्ण रूप से समाज से पृथक कर दिया जाता है तथा उसके परिवार को न्यायाधिकारियों एवं सामाजिक जनों को भोजन कराने का दण्ड दिया जाता है।
2.	स्वजाति लड़की का दूसरे जाति (पानी अछूत जाति जैसे तेली, कुर्मी, यादव) के लड़के से विवाह कर लेने की स्थिति में	लड़की को पूर्ण रूप से समाज से पृथक कर दिया जाता है तथा उसके परिवार हेतु जाति विशेष आधार पर पृथक–पृथक प्रावधान है।
3.	स्वजाति लड़के का दूसरे जाति की लड़की से विवाह कर लेने की स्थिति में	लड़के को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है किन्तु उसकी सन्तान को खाना खिलाने के दण्ड के बाद मिला लिया जाता है।
4.	समान गोत्र में विवाह कर लेने पर	परिवार के द्वारा मांदी भात (01 बकरा और 3 हजार रूपये) खिलाने का दण्ड दिया जाता है और उसके बाद समाज में मिला लिया जाता है।
5.	विवाह पूर्व गर्भवती होने पर – (अ) जाति अन्तर्गत अवैध संबंध की स्थिति (सगोत्र या विषम गोत्र) होने पर तथा लड़की के विवाह पूर्व गर्भधारण होने पर	समाज मे खात खवई अर्थात परिवार के द्वारा मांदी भात (01 बकरा और 3 हजार रूपये) खिलाने का दण्ड दिया जाता है और उसके बाद समाज में मिला लिया जाता है।
	(ब) विजातीय होने पर	लड़का व लड़की दोनों की स्थिति में उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

उपरोक्त सभी स्थिति में परिवार का **रंधनी घर** (लाल बंगला) तोड़ दिया जाता है और समाज मे मिलने के बाद ही उन्हें पुनः लाल बंगला बनाने की अनुमति दी जाती है। उपरोक्त के अतिरिक्त भुंजिया जनजाति में कुछ विशेष नियम निम्नानुसार है –

1. किसी गोतियार की मृत्यु होने पर सभी गोतियार के घर का चूल्हा और पिने के पानी का हंड़िया तोड़ दिया जाता है।

2. यदि रंधनी घर (लाल बंगला) में कोई जानवर घूस जाये तब रंधनी घर का शुद्धिकरण करते है और चूल्हा, हंड़िया तोड़ दिया जाता है।

3. भुजिया जनजाति के लोगों में निम्न जाति (घसिया, गांडा, सतनामी, मेहर) के घर खाना नही खाते है। ऐसा होने पर सामाजिक शुद्धिकरण या सामाजिक दण्ड प्रावधान है।

4. भुजिया जनजाति में लड़कियों का ब्लाउज एवं पेटीकोट धारण करना प्रतिबंधित था किन्तु वर्तमान परिवेश (शिक्षा व आधुनिकीकरण) के कारण लड़किया लज्जित न हो अतः समाज मे निर्णय लेकर उक्त परिधार पहनने की अनुमति दी गई है।

5. भुंजिया जनजाति में महिलाओं को पैर में चप्पल या जुते पहनने की अनुमति नही है।

6. भुंजिया जनजाति में महिलाएं सिंदुर लगाना, नाक छिदवाने की अनुमति नही है।

7. भुंजिया जनजाति में प्रायः 06 साल की उम्र तक महिला एवं पुरूषों का कान छिदवाना अनिवार्य ऐसा नही होने पर उन्हें समाज से बहिस्कृत कर दिया जाता है।

8. शिशु जन्म उपरांत छठ्ठी के दिन चामबंदी करना अनिवार्य है।

उपरोक्त नियम का पालन नही करने पर समाज से बहिस्कृत कर दिया जाता है तथा समाज को खात–खवई कराने के पश्चात उन्हें समाज में मिलाया जाता है।

==0==

अध्याय 10
परिवर्तन एवं विकास

भुंजिया जनजाति निवासित ग्रामो के क्षेत्र में भी शिक्षा, संचार, आवागमन, बाह्य संपर्क आदि के कारण भुंजिया जनजाति की जीवनशैली में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। भुंजिया जनजाति के जीवनशैली, रहन–सहन, खान–पान आदि क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। जो निम्नांकित है –

ग्राम स्तर पर परिवर्तन

भुंजिया जनजाति के ग्रामों में पूर्व की तुलना में सड़कों का निर्माण, शाला भवनों का निर्माण, आंगनबाड़ी भवन का निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्राम पंचायत भवन, बाजार व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल हेतु हैण्डपंप, टैप नल, राशन की दुकाने, ग्राम पंचायत भवन आदि सामुदायिक सुविधाएं देखने को मिलती है।

परिवार स्तर पर परिवर्तन

भुंजिया जनजाति में शिक्षा एवं बाह्य संस्कृति के प्रभाव के कारण इनक मूल पहनावें में भी अंतर देखने को मिलता है सामान्यतः विवाहित भुंजिया महिलाएं पूर्व में सफेद साड़ी पहनती थी, इस प्रकार के व्यवहारो में वर्तमान मे परिवर्तन देखने को मिलता है। वहीं पुरूषो में धोती–बंडी के स्थान पर फूल पेंट, कमीज पहनने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। महिलाओं द्वारा साप्ताहिक हाट–बाजार मे उपलब्ध रंग–बिरंगे परिधानों एवं श्रृंगार सामग्रियो के प्रति विशेष आकर्षण भी देखने को मिलता है।

आर्थिक जीवन में परिवर्तन

भुंजिया जनजाति पूर्व में आदिम पद्धति से कृषि एवं वनोपज संकलन पर पूर्णतया निर्भर थी। विकास के साथ–साथ वर्तमान में भुंजिया जनजाति के अनेक परिवारो द्वारा उन्नत कृषि, रासायनिक खादों का उपयोग, सिंचाई संसाधनों का उपयोग आदि देखने को मिलता है। पूर्व में वनोपज संकलन का उद्देश्य उदरपूर्ति तक ही सीमित था जो वर्तमान में वनोपज सहकारी समिति आदि की व्यवस्था के कारण उदरपूर्ति के साथ–साथ अर्थोपार्जन के साधन के रूप में परिवर्तित हुआ है।

स्वास्थ्यगत परिवर्तन

स्वास्थ्य अधोसंरचनात्मक विकास एवं प्रचार–प्रसार के कारण भुंजिया जनजाति में

स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने की प्रवृत्ति में परिवर्तन गर्भावस्था में चिकित्सक/नर्स की सलाह, आंगनबाड़ी में पोषण आहार, नवजात शिशुओं के टीकाकरण के रूप में देखने को मिलता है।

अन्य परिवर्तन

भुंजिया जनजाति में शिक्षा एवं बाह्य संस्कृति के प्रभावों के कारण विभिन्न सामाजिक अवसरों पर आधुनिक संगीत यंत्रों, टी.वी., घड़ी, मोटर साइकिल, मोबाईल आदि का भी बहुतायत मे उपयोग के साथ–साथ इनके धार्मिक जीवन, राजनैतिक जीवन मे भी परिवर्तन देखने को मिलता है।

शिक्षा में परिवर्तन

भुंजिया जनजाति में वर्तमान में शासन द्वारा ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला आदि की स्थापना से 02 दशक पूर्व की तुलना में वर्तमान में साक्षरता के स्तर में क्रमिक वृद्धि देखी जा रही है जो कि उक्त समाज के सामाजिक, आर्थिक विकास की दृष्टि से धनात्मक परिवर्तन है।

==0==

संचालक
आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
नवा रायपुर (छ.ग.)

भुंजिया जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

संचालनालय आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
सेक्टर-24, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
फोन : 0771-2960530, E-mail : trti.cg@nic.in, web. : www.cgtrti.gov.in